

दिनांक 17.11.2022 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, भू- तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्री मनमोहन गोयल, महापौर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में सदन की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री कृष्ण कुमार सहरावत, सदस्य वार्ड नं0 01, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती सुमन रानी, सदस्य वार्ड नं0-02, नगर निगम, रोहतक।
3. श्री तिलकराज चौहान, सदस्य वार्ड नं0-03, नगर निगम, रोहतक।
4. श्री धर्मेन्द्र गुलिया पप्पन, सदस्य वार्ड नं0-04, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती गीता, सदस्य वार्ड नं0-05, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री सुरेश चन्द्र, सदस्य वार्ड नं 0 06, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री सुनिल कुमार, सदस्य वार्ड नं0-08, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री जयभगवान, सदस्य वार्ड नं0-09, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री राहुल देशवाल, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री कदम सिंह अहलावत, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती मंजू हुड्डा, दस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती कंचन, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री राधेश्याम, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री गुलशन कुमार ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती डिम्पल, सदस्य वार्ड नं0-16, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री राजकमल सहगल, वरिष्ठ उपमेयर एवं सदस्य वार्ड नं0 17, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती दीपिका, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
18. श्रीमती मुक्ता, , सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
19. श्रीमती पूनम, , सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।
20. श्री अनिल कुमार, उपमेयर एवं सदस्य वार्ड नं0-21, नगर निगम, रोहतक।
21. श्रीमती संतोष, सदस्य वार्ड नं0-22, नगर निगम, रोहतक।
22. श्री अमित बंसल, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
23. श्री राजेश सैनी, मनोनीत सदस्य, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों तथा अधिकारियों का स्वागत किया तत्पश्चात् नगर निगम के पूर्व राज्यपाल श्री धनिक लाल मंडल व पूर्व डिप्टी मेयर श्री अशोक भाटी जी के निधन होने पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखकर प्रार्थना की गई।

| क्र० सं० | एजेन्डा | निर्णय |
|----------|--|--|
| 1. | जिला उपायुक्त, रोहतक के माध्यम से Ministry of Home Affairs द्वारा रोहतक में NDRF का Regional Response Centre बनाने के लिए नगर निगम रोहतक क्षेत्र में 05 एकड़ भूमि सुनारियां कलां गांव में उपलब्ध करवाने वारे प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अतः प्रस्ताव सदन में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | इस बारे आयुक्त नगर निगम/महापौर महोदय व सम्बन्धित वार्ड पार्षद द्वारा पुनः विचार विमर्श करने उपरांत आगामी बैठक में रखे जाने वारे निर्णय लिया गया |
| 2. | उपायुक्त, रोहतक के माध्यम से Art & Cultural Affairs Department द्वारा रोहतक में Regional Centre Haryana Kala Parishad बनाने के लिए नगर निगम रोहतक क्षेत्र में 05 एकड़ भूमि सुनारियां कलां गांव में उपलब्ध करवाने वारे प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अतः प्रस्ताव सदन में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। | इस बारे आयुक्त नगर निगम/महापौर महोदय व सम्बन्धित वार्ड पार्षद द्वारा पुनः विचार विमर्श करने उपरांत आगामी बैठक में रखे जाने वारे निर्णय लिया गया |
| 3. | <p>Regarding layout plans of unauthorized colonies prepared by Town & Country Planning Department in respect of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act 2016.</p> <p>दिनांक 18.02.2020 को नगर निगम सदन की सामान्य बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था कि नगर निगम रोहतक की सीमा में स्थित सभी अवैध कालोनियों का सर्वे करवाकर उन्हें नियमित करवाने के लिए केस सरकार को भेजने वारे प्रस्ताव पारित किया गया था।</p> <p>हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सभी नगर निगम/परिषद/पालिका को पत्र क्रमांक DULB/TP/2022/3709-3822 दिनांक 08.05.2022 व पत्र क्रमांक DULB/TP/2022/3121-3234 दिनांक 04.05.2022 के तहत आदेश दिये हैं कि निदेशालय द्वारा भेजी गई, टाउण कन्ट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा द्वारा सर्वे की गई कालोनियों की सूचि को Civic Amenities and Infrastructure Deficient</p> | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि 15 दिन में कालोनियों का डाटा नक्शे में अधिकृत व अनाधिकृत कालोनियों अनुसार अलग-2 रंग भरकर सम्बन्धित भवन निरीक्षक के माध्यम से संबंधित पार्षद को उपलब्ध करवायेंगे। पार्षद 7 दिन में उक्त डाटा को भवन निरीक्षक के साथ विचार विमर्श करके नई जोड़ी जानी वाली कालोनिया यदि है तो अपनी राय प्रकट करेंगे। सदन द्वारा महापौर महोदय को इस पूरी प्रक्रिया के लिए अधिकृत किया गया। सहायक नगर योजनाकार नगर निगम रोहतक, जिला नगर |

| | | |
|----|---|--|
| | Municipal Areas (Special Provision Act 2016) के तहत सदन में कालोनियों के मानचित्र/सूची व अन्य दस्तावेज का प्रस्ताव सरकार द्वारा जारी पोलीसी दिनांक 14.02.2022 में दिए गए नियम व शर्तों को यदि पूर्ण करती है, इस आधार पर स्वीकृत करते हुए सरकार को अविलम्ब, पारित प्रस्ताव की प्रति भेजी जाए। अतः निदेशालय से प्राप्त पत्र क्रमांक DULB/CTP/2022/1510 दिनांक 09.03.2022, (23 कालोनियों) पत्र क्रमांक DULB/CTP/2022/1905 दिनांक 25.03.2022 (18 कालोनियों) तथा DULB/CTP/2022/3602 दिनांक 13.5.2022 (12 कालोनियों) की सूची उपरोक्त अनुसार सदन में विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है। | योजनाकार व महापौर महोदय से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। |
| 4. | <p>गांव पहरावर स्थित Gaur Brahman Vidya Pracharini Sabha (Regd.) Rohtak को लीज पर दी गई जमीन की बकाया लीज राशि जमा करवाने बारे अनुरोध को सदन में निर्णय हेतु।</p> <p>उपरोक्त विषय के संदर्भ में Ex-officio Secretary, Gaur BrahmanVidya Parcharini Sabha (Regd.) Rohtak द्वारा प्रार्थना पत्र महापौर महोदय के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें संस्था द्वारा अनुरोध किया गया है कि तत्कालीन ग्राम पंचायत पहरावर के अनुरोध पर सरकार के आदेश क्रमांक 5-I-2008/1794-98 दिनांक 15. 1.2009 द्वारा कुल 15 एकड़ 3 कनाल भूमि को 33 वर्षों के लिए, प्रति वर्ष 1 लाख रु0 जिसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि की शर्त पर लीज पर दी गई थी। संस्थान द्वारा 5 वर्षों तक ही लीज की राशि जमा करवाई गई है। अब संस्था द्वारा वर्ष 2014 से 2022 तक की बकाया लीज राशि (वार्षिक अनुसार) कुल 13,05,000/- रु0 जमा करवाने बारे अनुरोध किया गया है। अतः प्रस्ताव सदन में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।</p> | इस बारे सरकार के स्तर पर लम्बित है। |
| 5. | <p>Delhi Road पर स्थित 114 वर्गगज खाली जगह को प्रार्थीयों को बेचने बारे महापौर महोदय के माध्यम से निम्न का प्रस्ताव सदन में रखने हेतु प्राप्त हुआ है जो विचारार्थ प्रस्तुत है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राकेश गोयल पुत्र श्री धनपत राय गोयल। 2. अरुण कुमार गोयल पुत्र श्री धनपत राय गोयल। 3. संजीव गोयल पुत्र श्री धनपत राय गोयल। 4. श्रीमति सुनीता जिन्दल पुत्री श्री धनपत राय गोयल। 5. श्रीमति अनिता गुप्ता पुत्री श्री धनपत राय गोयल। | <p>सहायक जिला न्यायवादी द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है सम्बंधित द्वारा कोर्ट केस वापिस लेने उपरांत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। इस बारे सदन द्वारा सहमति दी गई कि यदि प्रार्थी माननीय न्यायालय में लंबित मामले को वापिस लेते हैं तो उन्हे जिनके सम्मुख यह भूमि है उन्हे मण्डलीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा निर्धारित रेटों पर भूमि दे दी जाये।</p> <p>(कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 6. | जोगीनाथ समाज संगठन द्वारा प्राप्त पत्र जिसमें उन्होने मांग की है कि गोहाना रोड PWD के पास बने पार्क का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा जाये। | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 7. | भगवान परशुराम आश्रम जन कल्याण समिति (रजि0) द्वारा प्राप्त पत्र जिसमें महेन्द्रा माडल स्कूल चौक, सोनीपत रोड, रोहतक का नाम भगवान परशुराम चौक रखने बारे मांग की है। | इस बारे महापौर महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि भगवान परशुराम आश्रम जन कल्याण समिति (रजि0) द्वारा उक्त स्थल के स्थान पर IMT चौक का नाम भगवान परशुराम चौक रखने बारे अनुरोध किया गया है। जिस संदर्भ में संबंधित पार्षद द्वारा भी सहमति दी गई। अतः सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 8. | भूतपूर्व मेयर महोदया श्रीमति रेनू डाबला द्वारा प्राप्त पत्र जिसमें उन्होने सुखपुरा चौक से आगे वीटा मिल्क प्लांट वाले चौक का नाम संत कबीर चौक रखने बारे मांग की है। | इस बारे महापौर महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि यह एजेन्डा पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है केवल बोर्ड लगवाया जाना है। अतः सर्वसम्मति से वीटा मिल्क प्लांट वाले चौक पर संत कबीर चौक का बोर्ड लगवाया जाना स्वीकृत किया गया। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 9. | स्वामी आत्मानन्द हरियाणा अनुसूचित जाति शिक्षा समिति रोहतक द्वारा प्राप्त पत्र जिसमें उन्होने मांग की है कि पुराना सदर थाना (सब्जीमंडी) के पास स्वामी आत्मानन्द नाम का बोर्ड लगवाया जाये। | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 10. | बाबा बन्दा बहादुर सेवा समिति (रजि0) चैरिटेबल काम्पलैक्स, डी०एल०एफ० कालोनी रोहतक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र में मांग की है कि डी०एल०एफ० कालोनी पार्क का नाम नगर निगम की सामान्य बैठक दिनांक 28.11.2017 को सर्वसम्मति से अमर शहीद बाबा बन्दा बहादुर पार्क डी०एल०एफ० कालोनी मंजूर हुआ था। यहां सन 2017 में नगर निगम द्वारा बोर्ड लगवा भी दिया गया था परन्तु कुछ अराजक तत्वों द्वारा यह बोर्ड उखाड़ दिया गया। अतः पार्क में बोर्ड दोबारा लगवाया जाये। | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 11. | अमर शहीद चन्द्र शेखर युवा ट्रस्ट द्वारा भिवानी रोड स्थित भिवानी चुंगी चौक का नाम अमर शहीद चन्द्र शेखर आजाद रखने बारे। | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की |

| | | |
|-----|--|--|
| | | जानी हैं) |
| 12. | तेज कालोनी के पार्क का नाम संत कबीर रखने वारे। | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। |
| 13. | वार्ड नं० 19 में तिकोना पार्क जो शिवाजी कालोनी में है उसका नाम बदलकर स्व०श्री नितिश आर्या के नाम रखा जाये। | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। |
| 14. | पूर्व में हुई सदन की बैठक में बस क्यू शैल्टर का एजेण्डा 5 वर्ष के लिए पास किया गया था। जिसको 10 वर्ष का करने वारे। | सर्वसम्मति से PPP MODE पर कार्य किया जाना स्वीकृत किया गया तथा सैक्टरो में भी जगह चिन्हित कर नए बस क्यू शैल्टर बनाये जाये। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 15. | Old Age Home के लिए दो एकड़ जमीन सुनारियां गांव में देने के लिए प्रवधान किया गया था। अब यह जमीन सुनारियां गांव की बजाए बोहर रेलवे लाईन के नजदीक देने वारे। | सदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि अन्य जिलों में भी इस कार्य के लिए भूमि लीज पर दी गई है। जिस पर सदन द्वारा सहमति दर्शाते हुए एक रूपया प्रतिवर्ष लीज पर देने का निर्णय लिया गया। (कार्वाई जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 16. | पूर्व में हुई सदन की बैठक में BOT Basis पर फुटओवर ब्रिज जो जाट कॉलेज के आगे बनाया जाना पास हुआ था। उसके स्थान पर जाट कॉलेज की बजाय सैक्टर 01 के आगे बनवाने वारे। | सर्वसम्मति से PPP MODE पर कार्य किया जाना स्वीकृत किया गया। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 17. | निदेशक UBUBTU HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED बाईपास कारोर रोड, रोहतक में अपने पत्र दिनांक 18.08.2022 से अनुरोध किया है कि वह अपनी जमीन 13 कनाल (किला नम्बर 95//13,95//12/3,95//12/2) जो कि गांव खेड़ी साध तहसील सांपला, जिला रोहतक में है कि CLU लेने के लिए आवेदन देना चाहते हैं। नियमों के अनुसार CLU उन्हे जब ही मिल सकती है जब रोड 6 करम (33 फुट) की हो। उन द्वारा अनुरोध किया गया है कि | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने रकबे में सड़क को निर्णय अनुसार रखरखाव भी करवाया जायेगा। |

| | उनके सामने लगने वाली कारोर रोड़ सिर्फ 4 करम (22 फुट) की है। इसलिए वह कारोर रोड़ पर लगने वाली उनकी जमीन की 2 करम (11 फुट) चौड़ाई की कुल 242 वर्गगज जमीन की नगर निगम के नाम Gift Deed करवाना चाहते हैं। नगर निगम के नाम Gift Deed करवाने से पहले यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सदन की बैठक में रखा जाना उचित होगा। | (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----|---------------|----|-----|-----|----|----|--------------------|----|-----|-----|----|----|----------------------|----|-----|-----|----|----|-------------------|----|-----|----|----|----|-------------------|--|----|----|----------|----|---------------------------|--|----|----|----------|----|--------------------|--|----|----|----------------|--|
| 18. | नगर निगम, रोहतक के अधीन क्षेत्रफल काफी बड़ा है एवं कार्यालय में कार्य की अधिकता को देखते हुए यहां पर अधिकारियों/कर्मचारियों के पद काफी कम सृजित है। अतः आमजन को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एवं कार्यालय का कार्य के कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम, रोहतक में निम्नलिखित अतिरिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पद सृजित करने के लिए सदन में प्रस्ताव स्वीकृत करने उपरांत सरकार को भेजा जाना उचित होगा:- | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। (कार्वाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>पद</th><th>पूर्व में सृजित पदों की संख्या</th><th>भरे हुए पद</th><th>रिक्त पद</th><th>प्रस्तावित पदों की संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>मुख्य अभियंता</td><td>00</td><td>...</td><td>...</td><td>01</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>मुख्य लेखा अधिकारी</td><td>00</td><td>...</td><td>...</td><td>01</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>अतिरिक्त निगम आयुक्त</td><td>00</td><td>...</td><td>...</td><td>01</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>जिला नगर योजनाकार</td><td>01</td><td>...</td><td>01</td><td>01</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>कार्यकारी अभियंता</td><td>सिविल-02 बागवानी-01 इलैक्ट्रीकल-01 कुल 04</td><td>01</td><td>03</td><td>सिविल-02</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>नगर अभियंता/सहायक अभियंता</td><td>सिविल-04 बागवानी-01 इलैक्ट्रीकल-01 कुल 06</td><td>03</td><td>03</td><td>सिविल-04</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>कानिष्ठ अभियंता के</td><td>सिविल-10 बागवानी-03 इलैक्ट्रीकल-03 कुल 16</td><td>08</td><td>08</td><td>इलैक्ट्रीकल-01</td></tr> </tbody> </table> | क्र. स. | पद | पूर्व में सृजित पदों की संख्या | भरे हुए पद | रिक्त पद | प्रस्तावित पदों की संख्या | 1. | मुख्य अभियंता | 00 | ... | ... | 01 | 2. | मुख्य लेखा अधिकारी | 00 | ... | ... | 01 | 3. | अतिरिक्त निगम आयुक्त | 00 | ... | ... | 01 | 4. | जिला नगर योजनाकार | 01 | ... | 01 | 01 | 5. | कार्यकारी अभियंता | सिविल-02 बागवानी-01 इलैक्ट्रीकल-01 कुल 04 | 01 | 03 | सिविल-02 | 6. | नगर अभियंता/सहायक अभियंता | सिविल-04 बागवानी-01 इलैक्ट्रीकल-01 कुल 06 | 03 | 03 | सिविल-04 | 7. | कानिष्ठ अभियंता के | सिविल-10 बागवानी-03 इलैक्ट्रीकल-03 कुल 16 | 08 | 08 | इलैक्ट्रीकल-01 | |
| क्र. स. | पद | पूर्व में सृजित पदों की संख्या | भरे हुए पद | रिक्त पद | प्रस्तावित पदों की संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | मुख्य अभियंता | 00 | ... | ... | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | मुख्य लेखा अधिकारी | 00 | ... | ... | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | अतिरिक्त निगम आयुक्त | 00 | ... | ... | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | जिला नगर योजनाकार | 01 | ... | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | कार्यकारी अभियंता | सिविल-02 बागवानी-01 इलैक्ट्रीकल-01 कुल 04 | 01 | 03 | सिविल-02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | नगर अभियंता/सहायक अभियंता | सिविल-04 बागवानी-01 इलैक्ट्रीकल-01 कुल 06 | 03 | 03 | सिविल-04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | कानिष्ठ अभियंता के | सिविल-10 बागवानी-03 इलैक्ट्रीकल-03 कुल 16 | 08 | 08 | इलैक्ट्रीकल-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|----|-----|-----|----|--|
| | 8. | तहसीलदार | 00 | ... | ... | 01 | |
| | 9. | कानूनगो | 01 | 00 | 01 | 02 | |
| | 10. | पटवारी | 02 | 01 | 01 | 02 | |
| | 11. | सहायक जिला न्यायवादी | 01 | 01 | 00 | 02 | |
| | 12. | सहायक योजनाकार | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| | 13. | उप जिला न्यायवादी | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| | 14. | कर निरीक्षक | 04 | 00 | 04 | 06 | |
| | 15. | जनसम्पर्क अधिकारी | 00 | 00 | ... | 01 | |
| | 16. | सफाई निरीक्षक | 02 | 02 | 00 | 02 | |
| | 17. | सहायक सफाई निरीक्षक | 10 | 00 | 10 | 04 | |
| | 18. | सेवादार | 04 | 03 | 01 | 50 | |
| 19. | करोथा कांड में शास्त्री श्री उदयवीर सिंह की मृत्यु होने उपरांत परिवारजनों द्वारा इस शर्त पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था कि श्री उदयवीर शास्त्री की प्रतिमा हेतु 50 गज जमीन गांव बलियाणा में दी जायेगी। जिस पर तत्कालीन उपायुक्त महोदय द्वारा अपनी सहमति दर्शायी गयी थी। परन्तु अभी तक जमीन न देने के कारण मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा दो बार जुर्माना भी लग चुका है। | | | | | | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य व परिवारजनों की सहमति से जगह चिन्हित करके श्री उदयवीर शास्त्री की प्रतिमा हेतु 50 गज जमीन गांव बलियाणा में दी जाये। (कार्वाई नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 20. | महापौर महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि बरसात के पश्चात् रोहतक शहर की सभी सड़कें टूटी हुई हैं। अतः जनहित में रोहतक शहर की 35 किलोमीटर व सैकटरों की 15 किलोमीटर की मैटल्ड सड़क बनाई जाये। | | | | | | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकरी अभियंता नगर निगम रोहतक को निर्देश दिये गये कि रोहतक शहर की 35 किलोमीटर व सैकटरों की 15 किलोमीटर की मैटल्ड सड़क बनाने हेतु प्रांकलन तैयार करके अविलम्ब कार्य करवाया जाये। इस बारे महापौर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जल्द से जल्द रोहतक शहर की 35 |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | <p>किलोमीटर व सैकटरों की 15 किलोमीटर की मैटल्ड सड़क बनाई जाये। इसके अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि लोकनिर्माण विभाग (भवन व सड़कों), रोहतक व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों की सूचि वार्ड सदस्यों एवं नगर निगम, रोहतक को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक व कार्यकारी अभियंता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 21. | नगर निगम क्षेत्र में 5 बूस्टरों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। अतः जनहित में बूस्टरों का कार्य पूर्ण करवाया जाए। | <p>इस बारे महापौर महोदय द्वारा सदन को बताया गया कि पिछले लगभग 2 वर्ष से 05 बूस्टरों का कार्य चल रहा था जो कि अभी तक अधूरा है। इनका कार्य पूर्ण करवाने बारे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रांकलन तैयार करके अनुमान मांगा गया था जिस बारे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अनुमान नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध करवाया गया। जिसके उपरांत नगर निगम द्वारा कुछ राशि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्थानान्तरित की गई तथा 01 करोड के लगभग राशि और स्थानान्तरित की जानी है। अतः जनहित में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए लम्बित राशि तुरन्त स्थानान्तरित की जायें ताकि बूस्टरों का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो सके।</p> <p>(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता व वरिष्ठ लेखा अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| वार्ड न. 01 | | |
| 22. | सैनिक कालोनी में कम्प्युनिटी सैन्टर बनाया जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा।</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 23. | सीवर लाईन डाली जाए लगभग 500 फुट। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 24. | सिंहपुरा एस०टी०पी० चालू किया जाए और सूर्या नगर को इस मेन लाईन से जोड़ा जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक का नियमानुसार कार्वाई करने के निर्देश दिए गए। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 25. | सिंहपुरा रोड पर पब्लिक हैल्थ की जमीन पड़ी लगभग 12 एकड़ उसमें से 02 एकड़ में पार्क बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 26. | आई०डी०सी० चौक पर पार्क बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा |

| | | |
|-----|--|---|
| | | की जानी हैं) |
| 27. | एच0एस0आई0डी0सी0 में डा: भीमराव अम्बेडकर के नाम से कम्युनिटी सेन्टर बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 28. | वार्ड नं0 1 में जितनी भी अवैध कालोनियां हैं उन्हे वैध की जाए। | इस बारे बिन्दु नं0 03 पर निर्णय लिया जा चुका है। |
| 29. | वार्ड नं0 1 के अन्दर 60 प्रतिशत गलियां कच्ची व टूटी पड़ी हैं उन्हे बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 30. | वार्ड नं0 1 में कई कालोनियों में पानी की पाईप लाईन नहीं है उन्हे डाला जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 31. | वार्ड नं0 1 में डिस्पैन्सरी खुलवाई जाए। | आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि भारत सरकार द्वारा विशेष स्कीम के तहत डिस्पैन्सरी बनाई जाती है। अतः इस बारे सदस्यगण अपने-2 वार्डों में बनाई जाने वाली डिस्पैन्सरी की सूचि उपलब्ध करवायें |

| | | |
|-----|---|--|
| | | ताकि आगामी कार्रवाई हेतू सिविल सर्जन रोहतक को भेजा जा सके। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 32. | पब्लिक हैल्थ को नगर निगम के अन्दर लिया जाए। | इस बारे निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना है। |
| 33. | वार्ड नं0 1 में पानी नहीं है जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था की जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 34. | वार्ड नं0 1 में सीवर व्यवस्था का बुरा हाल है कोई अधिकारी व ठेकेदार सुनवाई नहीं करता। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 35. | वार्ड नं0 1 में गन्दा पानी आता है ठीक किया जाए। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 36. | वार्ड नं0 1 में जो शमशान घाट है उसे निजी हाथों से लेकर वार्ड नं0 1 में समिति को दिया जाए। | सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बारे सम्बन्धित वार्ड सदस्य से प्रस्तावना लेकर सदन की आगामी बैठक |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | | <p>में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये।</p> <p>(कार्रवाई भू-अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 37. | वार्ड नं0 1 में जो अधूरे काम पड़े हैं उन्हे पूरा किया जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 38. | जीन्द प्लाई ओवर के नीचे अन्डर पास बनाया जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 39. | वार्ड नं0 1 में लाईन के साथ पार्क बनाया जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| वार्ड न. 04 | | |
| 40. | हर वार्ड में चार-चार लाख रुपये के काम किए गए थे। जिसमें हर वार्ड में चार लाख रुपये का काम हो चुका है और अब तक मेरे वार्ड में चार पैसे का भी काम नहीं हुआ है। कृप्या करके किसी और ठेकेदार को काम दिया जाए व चार लाख रुपये का पैंडिग काम पूरा किया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि लंबित कार्यों की सूचि तैयार की जाये जिन कार्यों के पूर्ण होने में खर्च कम होना हो, उन्हें डी-प्लान के कार्यों में शामिल कर करवाया जाये।</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 41. | माता दरवाजा बूस्टर का काम दो साल से रुका हुआ है। उसमें आज तक ना ही कोई मोटर रखी हुई है, ना ही कमरा बनाया गया है। कृप्या करके माता दरवाजा बूस्टर का चालू करवाया जाए। जिससे माता दरवाजा के सभी लोगों को पानी मिल सके। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 42. | भरत सिंह चौक पर लाईट नहीं लग पाई है। कृप्या उन सभी खंभो को हटवाया जाए व भरत सिंह चौक पर लाईट लगवाने का काम जल्द किया जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतू सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 43. | वार्ड न04 में काफी जगहों पर स्ट्रीट लाईट नहीं लगी हुई हैं। जल्द से जल्द नई स्ट्रीट लाइटें लगवाने का कार्य करवाया जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतू सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 44. | पिछली सदन की बैठक में हर वार्ड में तीन करोड़ रूपये लगाने के लिए बोला गया था, जो कि आज तक खाली एस्टीमेट बनाया गया है। तीन करोड़ में से एक रूपए का भी काम नहीं हुआ है। कृप्या करके हमारे वार्ड में कार्य करवाने का काम करे व सदन की बैठक में हुई बातों पर अमल करे। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 45. | वार्ड 4 में सदर थाने के सामने वाली गलियों में नई सिविर लाईन दबवाने का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। नई सिविर लाईन दबवाने का कार्य किया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | | <p>कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 46. | बूस्टर की पुरानी पाईप लाईन जगह-2 से लीक हो गई है। गोहाना अड्डे से लेकर डेयरी मौहल्ला तक नई पाईप लाईन बिछाने का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। कृप्या करके नई पाईप लाईन बिछाई जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 47. | वार्ड नं 4 में डा० प्रेम वाली गली में पाईप लाईन व सिविर की लाईन दबवाने का काम अभी तक नहीं हुआ है। कृप्या करके मेरे वार्ड की गलियों में पाईप लाईन बिछवाने का कार्य करवाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| वार्ड नं. 05 | | |
| 48. | पिछली हाउस की मीटिंग में जो काम लिखवाए गए हैं वो काम पूरे करवाए जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 49. | वार्ड 5 में 4 शमशान भूमि अनअपरुवड हैं उनको अपरुवड किया जाए। और इनके साइन बोर्ड लगवाए जाए और | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया |

| | | |
|-----|---|--|
| | हाई मास्क पॉल लगवाए जाए। | गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 50. | सासी समाज मुक्ति धाम कबीर कॉलोनी कबीर कॉलोनी का साइन बोर्ड लगवाए जाए। और हाई मास्क पॉल लगवाए जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 51. | शिव खेड़ा मुक्ति धाम रैनकपुरा का साइन बोर्ड लगवाए जाए। और हाई मास्क पॉल लगवाए जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 52. | धानक समाज शमशान भूमि डेरा पाना का साइन बोर्ड लगवाए जाए। और हाई मास्क पॉल लगवाए जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। |

| | | |
|-----|--|---|
| | | (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 53. | चमारन शमशान भूमि का साइन बोर्ड लगवाए जाए। और हाई मास्क पॉल लगवाए जाए तथा सभी चार अपर्लवड शमशान भूमि के साइन बोर्ड लगवाए जाए। | सर्वसम्मति से स्थीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्थीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 54. | शिव शमशान भूमि जीद रोड व जैन संतों का साइन बोर्ड। | सर्वसम्मति से स्थीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 55. | प्रजापति शमशान भूमि का का साइन बोर्ड। | सर्वसम्मति से स्थीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 56. | डेरी मोहल्ला जाट शमशान भूमि का साइन बोर्ड। | सर्वसम्मति से स्थीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 57. | बाल्मीकी मुक्ति धाम पाड़ा मोहल्ला का साइन बोर्ड। | सर्वसम्मति से स्थीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 58. | अंडेकर पार्क का साइन बोर्ड लगवाया जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड न. 06 | | |
| 59. | वार्ड के अन्दर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था के लिए नई लाईट खरीदने का प्रावधान होना चाहिए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 60. | सफाई कर्मचारी कितने हैं, आज तक इनकी लिस्ट वार्ड वाइज नहीं दी गई। कृप्या वार्ड वाइज इनकी लिस्ट दी जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि वार्डों में कार्यरत कर्मचारियों की सूचि सभी वार्ड सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाये। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 61. | अमृत योजना सिविर व पानी के रुके हुए काम होगें या नहीं होगें। हर बार इनका समय बढ़ा दिया जाता है, इसका कारण बताओ। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने वारे निर्देश दिए गए। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 62. | आज तक जितने भी पुराने ऐजेंडे दिए हैं। उन पर कितने प्रतिशत काम हुआ है। कृपा बताने की कृपा करें। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि वार्डों के विकास कार्यों की सूचि सभी वार्ड सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 63. | पार्कों पर कितना खर्च हर महीने होता है और कितनी ग्रान्ट हर महीने आती है इसका व्यौरा दिया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि वार्डों के विकास कार्यों की सूचि |

| | | |
|-----|--|--|
| | | सभी वार्ड सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 64. | जो कार्य वार्ड के अलाट हुए थे रिपेयर आदि के, वो क्यों नहीं हो सके इसकी डिटेल दी जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि वार्डों के विकास कार्यों की सूची सभी वार्ड सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 65. | सरदार चाट वाली गली के कोने पर एक पुराना शौचालय है, उसे बाहर निकाल कर पुल के नीचे बनाया जाए। ताकि गली खुल जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 66. | बरसात के मौसम से पहले किसी भी नाले की सुचारू रूप से सफाई क्यों नहीं हुई। यही हाल सीवरों का है। कृष्णा इसका कारण बताए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 67. | वार्ड की कच्ची गलियों का बार-बार निरिक्षण करने के बारे उनको पक्का नहीं किया जाता क्या कारण हैं जबकी निगम के अधिकारी अपने मन चाहे कार्य करवा लेते हैं। उस समय बजट की कमी क्यों नहीं होती। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 68. | कृष्णा कालोनी, महावीर कालोनी, भगत सिंह कालोनी, के साथ लगते नालों को ना पक्का किया जाता है और ना | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | ही उसकी सफाई करवाई जाती है। बारिश के दिनों में सभी कालोनियां पानी से भर जाती है। कृप्या इनका समाधान करवाया जाए। | कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 69. | राम जोड़ी वाले बुस्टर का क्या स्टेटस है, कृप्या बताए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर लम्बित कार्य को अविलम्ब करवाने के निर्देश दिये गये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 70. | वार्ड के अन्दर मेन गलियों को पक्का करवाने का समाधान किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड न. 8 | | |
| 71. | लाडोत रोड पर शास्त्री नगर, बसंत विहार दोनो कालोनियों में पानी सप्लाई की काफी दिक्कत है। पानी नहीं आता है। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 72. | प्रवेश नगर में 3-4 गलियों में पानी पाईप लाईन नहीं उलवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। |

| | | |
|-----|---|--|
| | | (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 73. | हरकी देवी कालोनी पार्ट-2 में गलियां पकड़ी हैं। इनमें सीवर, पानी लाईन नहीं है, डलवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 74. | उत्तम विहार, आजादगढ़, न्यू विशाल नगर, पूरा लाडोत रोड, सूर्य नगर, बसंत विहार में सीवर लाईन ओवर फलो रहते हैं। जिससे पीने का पानी गन्दा रहता है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 75. | बसंत विहार, सोनीपत रोड, रामनगर, सूर्य नगर, ऋषि नगर, छोटू राम नगर, राजेन्द्र नगर, मैन लाडोत रोड पर फुटपाथ व गलियां बनाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 76. | किशनपुरा में दो गली, लक्ष्मी नगर की दो गली जिनकी हालात खराब हैं, बनवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। |

| | | |
|-----|---|---|
| | | (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 77. | उत्तम विहार आसनीयों वाली गली लगभग 3 साल से उखाड़ रखी है, बनवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 78. | जसबीर कालोनी में पार्क का निर्माण करवाया जाए, नगर निगम की जमीन पर। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 79. | बस स्टैंड के पास विशाल नगर के कोने पर एक शौचालय बनवाया जाए। जिसकी जगह भी चिन्हित करवा दी गई है। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 80. | जसबीर कालोनी की मेन गली शीला बाईपास से कबीर कालोनी बनवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 81. | बसंत विहार सोनीपत रोड़ 5–6 गलियों में सीवर, पानी नहीं डलवाया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 82. | वार्ड में जहां भी पानी सप्लाई के लिए गलियों में गड्डे किए जाते हैं। वो गड्डे भरवाए जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि जिस-जिस स्थान पर पानी या सीवर के कार्य के लिए रोड/गलियां तोड़ी गई है उनको तुरंत ठीक करवाना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 83. | वार्ड की कई गलियों में अतिक्रमण है। जिसकी कई बार लिखत में शिकायत भी दी है, पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतिक्रमण हटवाया जाए। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सभी वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण की गई जगह को चिन्हित कर वहां से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 84. | राजीव गांधी स्टेडियम रोड पर एक वाटर कूलर लगवाया जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 85. | लक्ष्मी नगर मेन गली राजा की दुकान से ईंटर अर्बन होटल तक नई गली बनवाई जाए तथा लक्ष्मी नगर रोडवेज यूनियन वाली गली बनवाई जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा</p> |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | | feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 86. | वार्ड में स्ट्रीट लाईट की काफी आवश्यकता है। स्ट्रीट लाईट लगवाई जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 87. | वार्ड में कई जगह बिजली पोल काफी दूरी पर हैं और बिजली के नंगे तार लगे हुए हैं। बिजली पोल व तार की जगह केबल डलवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे निगम क्षेत्र में जहां-जहां पर तारे नंगी हैं उनकी सूचि तैयार कर उनको कवर करवाना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड नं. 9 | | |
| 88. | गांव गढ़ी बोहर में पार्क का निर्माण कराया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 89. | गांव बोहर में मकड़ौली वाले रास्ते के साथ लगती जमीन ब्राह्मण शमशान घाट के पीछे, पार्क का निर्माण कराया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। |

| | | |
|-----|--|---|
| | | (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 90. | सैक्टर 3 व 4 में बरसाती पानी निकासी पाइप टूटे हुए हैं, उनकी मरम्मत कराई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 91. | बोहर मेलवान में विद्या भवन स्कूल के साथ लगती नगर निगम की जमीन पर पार्क का निर्माण कराया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 92. | बोहर भोपान की जो पाना शामलात जमीन है। उसका इन्तकाल नगर निगम के नाम ना कराया जाए क्योंकि हमारी शामलात जमीन का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन है। | आयुक्त महोदय द्वारा नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सभी वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित नगर निगम की जगह को चिन्हित कर वहां नगर निगम रोहतक का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करे। (भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक व नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 93. | सैक्टर 2 पार्ट में पार्क है जिनका लेवल सड़क से काफी नीचे चला गया है। इसलिए इन दोनों पार्कों में मिट्टी भरत कराया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 94. | वार्ड 9 में 8–10 गलिया व खेतों के रास्ते कच्चे पड़े हैं उनको पक्का कराया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर |

| | | |
|------------|--|---|
| | | निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड न.11 | | |
| 95. | सैक्टर 1 के shopping complex में मकान न. 2444–2445 के सामान्य और तुलसी प्रोपट्री के साथ एक हाई मास्क लाईट की अत्यंत आवश्यकता है। कृप्या करके लगवाई जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 96. | रिवैन्यू कालोनी में टाईप 1 और टाईप 2 के क्वाटर्स के पास आखिरी पार्क में भी एक हाई मास्क लाईट की जरूरत वहां के निवासियों ने की है, लगवाई जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 97. | चौ० देवीलाल पार्क के उत्तर दिशा की तरफ Land Acquisition Office के सामने एक जीर्ण शीर्ण अवस्था है। कृप्या उसको ठीक करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 98. | मेरे वार्ड में कई जगह वर्षा के समय पानी कई दिनों तक खड़ा रहता है। लोगों का कहना है कि वहां स्ट्रोम वाटर पाईप डाले ही नहीं गये हैं, जैसे कि सैक्टर 1 में मकान न. 222, 310, मकान न. 352 से 356, मकान न. 1298, 2408 से 2435, 1500–1501, 1598 के पास। सैक्टर 2 व 2–3 पार्ट में, मकान न. 145H to 1455, 1166, 1198 1202, 1437 ए 1014 to 1021 मकान न. 1891 से 1897 तक। सैक्टर-14 में मकान न. 514, 530 और 600 से 610 मकान के आसपास। इन क्षेत्रों में मौका मुआयना करवाकर स्ट्रोम वॉटर पाईप डलवाने का कष्ट करवाये। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि |

| | | |
|------|--|--|
| | | घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 99. | सैक्टर 1 में दिल्ली रोड़ के साथ Noble Heart Hospital के साथ एक Raj Garden नाम की कालोनी हैं यहां पर सीवर और स्ट्रोम वॉटर पाईप की problem है। इस क्षेत्र में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मैं हर सामान्य बैठक में इस समस्या के बारे में आवाज उठाता आ रहा हूं। परन्तु अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई हैं यदि HSVP अपने सीवर की लाईन या स्ट्रोम वॉटर की लाईन में क्लेक्शन देने के लिये कोई problem है तो विनय नगर की तरफ उक्त connection जुड़वाने की कोशिश की जाए। ताकि यहां के निवासियों को होने वाली समस्या से छुटकारा मिल सके। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 100. | मेरे वार्ड में स्ट्रोम वॉटर के main holes पर रखे जाने वाले covers सीमेंट के बने हुए है (G.Ts etc.)। वे काफी गाड़ी इत्यादि ऊपर के आने जाने से टूटे हुए है। जिससे आमजन को काफी मुसिबतें उठानी पड़ रही है। कृप्या इन G.Ts को तुरन्त लगवाया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि नगर निगम क्षेत्र में लगाने वाले जी.टी. एवं जाल के लिए प्रांकलन तैयार कर निविदा की जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 101. | सैक्टर-1 के shoping complex में कई बैंकस, एल0आई0सी0 का दफ्तर कार्य करते है। लोगों का आना जाना यहां बना रहता है। shoping complex में दुकानें भी सारी कार्य कर रही है। लोगों की मांग है कि shoping complex में Co-operative Bank के पास एक सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाए। अतः एक शौचालय यहां और बनवाया जाए। | इस बारे कार्यकारी अभियंता द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सैक्टर 01 मार्किट में एक शौचालय बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जल्द ही ताउ देवीलाल पार्क के साथ नया शौचालय बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 102. | Revenue Colony में एक community centre बने हुए काफी समय हो चुका हैं। परन्तु उस community centre का sewer connection main line से नहीं हुआ है। कृप्या उक्त sewer connection मुख्य सीवर लाईन सक करवाया जाए तथा उक्त community centre का रख रखाव जैसे घास इत्यादि लगवाना। Submersible pump की व्यवस्था व 8–10 Benches भी उक्त centre में रखवायें जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा इसे संज्ञान में लेते हुए कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग (भवन व सड़कें), रोहतक को मौका निरीक्षण कर आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 103. | Revenue Colony की व्यवस्था सफाई इत्यादि की कौन विभाग करेगा। PWD या नगर निगम सुनिश्चित की जाये और हर रोज सफाई की व्यवस्था भी अनिवार्य की जाये। | इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक ने सदन को अवगत करवाया कि Revenue Colony की व्यवस्था सफाई |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>इत्यादि का कार्य PWD विभाग द्वारा किया जाना है। परन्तु नगर निगम द्वारा सप्ताह में एक बार सफाई करवाई जा रही है। आयुक्त महोदय द्वारा इसे संज्ञान में लेते हुए लोकनिर्माण विभाग (भवन व सड़कें), रोहतक के उपस्थित अधिकारियों को नियमित रूप से सफाई करवाने वारे निर्देश दिये।</p> <p>(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 104. | मेरा वार्ड क्योंकि लगभग बाहरी क्षेत्र में पड़ता है। यहां गलियां/सड़के खुली हैं और आर-पार है। अतः यहां crimes, chain snatching की वारदात अक्सर होती रहती है। तो मुख्य सड़कों, सैक्टर के shopping complex में व sector के entrance पर व चौ0 देवी लाल पार्क में C.C.T.V cameras priority पर लगवाने की कृप्या जाये। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार C.C.T.V camera लगवाने के निर्देश दिये।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 105. | मेरा वार्ड में आवारा पशु, कुते व बन्दरों की बहुत समस्या है। कृप्या इनको पकड़वाने और कुतों को स्टरलाईज करवाने का कष्ट करे। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा आवारा पशु, कुते व बन्दरों बारे टैण्डर प्रक्रिया में है। टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण हाने उपरांत नगर निगम क्षेत्र से उक्त समस्या का समाधान करवा दिया जायेगा।</p> <p>(कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 106. | मेरे वार्ड की तकरीबन सारी सड़कें काफी क्षतिग्रस्त/टूट गई हैं। कृप्या इन्हें जल्दी से जल्दी बनवाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को निर्देश दिये गये कि रोहतक शहर की 35 किलोमीटर व सैक्टरों की 15 किलोमीटर की मैटल्ड सड़क बनाने हेतु प्रांकलन तैयार करके अविलम्ब कार्य करवाया जाये। इस बारे महापौर महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जल्द से जल्द रोहतक शहर की 35 किलोमीटर व सैक्टरों की 15 किलोमीटर की मैटल्ड सड़क बनाई जाये। इसके अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि लोकनिर्माण विभाग (भवन व सड़कें), रोहतक व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों की</p> |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>सूचि वार्ड सदस्यों एवं नगर निगम, रोहतक को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक व कार्यकारी अभियंता हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 107. | कई पार्कों में Gyms, Tracks, Inter locking tiles बाहर की तरफ व बच्चों के झूलों की अत्यंत आवश्यकता है। कृप्या निरिक्षण कर कमी पूरी की जाये। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 108. | मैं कई बार पीछे भी अनुरोध कर चुका हूँ कि सैक्टर-1 के हाऊसिंग बोर्ड में छोटे-छोटे घर हैं और गलियां तंग हैं। फलस्वरूप बिजली की तारें छतों को छू कर जा रही हैं छत पर आने-जाने में इन तारों से हमेशा डर बना रहता है, खासतौर पर छोटे बच्चों को। इन तारों को Rubber coated wires में बदलवाने का कष्ट करवायें। इसी तरह सैक्टर 14 के नजदीक एग्रो माल के आस पास भी High Tension Wire को Rubber coated wires में बदलवाने का कष्ट करवायें। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे निगम क्षेत्र में जहां-जहां पर तारे नंगी हैं उनकी सूचि तैयार कर उनको कवर करवाना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 109. | मैंने पिछली तकरीबन हर निगम की बैठक में अनुरोध किया कि सैक्टर-14 को चौ0 देवीलाल पार्क के साथ Foot over Bridge के द्वारा जोड़ा जाए। क्योंकि मुख्य मार्ग से सैक्टर-14 में, सैक्टर-1 की तरफ से प्रवेश करने में कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। खासतौर पर सैक्टर-14 की डिस्पैसरी और प्राईमरी स्कूल में लोगों व स्कूल के बच्चों का जो Housing Board, Sector-1 से आते जाते हैं। सड़क पार करने में बहुत डर बना रहता है। एक बार उक्त को ध्यान में रखते हुए पुनः प्रार्थना की जाती है। सैक्टर-14 को सैक्टर-1 के चौ0 देवी लाल पार्क के साथ Foot Over Bridge के माध्यम से प्रवेश करवाये जाने का कार्य किया जाये। | <p>इस बारे बिन्दु नं0 16 पर निर्णय लिया जा चुका है।</p> |
| 110. | श्रीमान जी मैं अब एक सार्वजनिक हित की बात और कहना चाहता हूँ तथा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि सरकार निगम कार्यालय, खजाना कार्यालय, Mini secretariat व न्यायालय परिसर इत्यादि को दूर सुनारियां गांव की तरफ shift करने का प्लान कर रही है। श्रीमान जी मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कार्यालयों का यहां से सुनारियां रोड पर shift करने से आमजन को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा साथ ही साथ सरकार को पैसे की बहुत ज्यादा लागत इन कार्यालयों को उक्त जगह बदलने में आयेगी और खाली हुई इमारतों का दुरुपयोग भी होगा। अतः ना तो यह योजना आमजन और ना ही सरकार के लिए फायदेमंद रहेगी। जबकि शहर | <p>इस बारे सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है।</p> |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | की इस समय सारी सड़के टूटी हुई है। वहाँ तो पैसा पिछले तीन-चार साल से मिल नहीं रहा है। अतः शहर के विकास के लिए और लोगों को कठनाई को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यालय अभी बाहर नहीं ले जाये और हाऊस की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव इन कार्यालयों को shift ना करने बारे भेजा जाए। | |
| 111. | श्रीमान जी केन्द्रीय सरकार द्वारा जवानों को फौज में भर्ती करने के लिए एक अग्निपथ योजना लाई जा रही है जिसका युवाओं, खाप पंचायतों, वकीलों व अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं, किसानों आदि ने काफी विरोध किया है। मेरी आपसे पर्याप्त जानकारी है कि यह सदन एक प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को उक्त योजना को वापिस लेने का अनुरोध करें और फौज में रक्षाई भर्ती करें। | इस बारे सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। |
| 112. | चौ०देवीलाल पार्क मे लोगों की सुविधा हेतु एक कच्चा ट्रैक चारों ओर दिवारों के साथ—2 बनाया गया था वह ट्रैक किन्ही कारणों से थोड़ा सा लगभग 400 मीटर के आस-पास अधूरा रहता है, आमजन व खासतौर पर बुजुर्गों की सुविधा के लिए उसे पूरा करवाया जाये। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड न. 12 | | |
| 113. | बाल-गोपाल पार्क का सौन्दर्यकरण किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 114. | गन्दे पानी की समस्या काफी है। कई जगह पानी पहुंचता नहीं है। ठीक करवाया जाए। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 115. | वार्ड में कई जगह पानी पाईप लाईन नहीं है। डलवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के |

| | | |
|------|--|--|
| | | <p>कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 116. | सैक्टर 2–3 पार्ट में बारिश में जलभराव होता है। जिसकी कई बार लिखित में शिकायत की है, पर बरसाती पानी निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ है। | <p>इस बारें कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर जलभराव की समस्या के समाधान वारे निर्देश दिये गये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 117. | रामगोपाल कालोनी, तिलक नगर, कमल कालोनी में जी0टी0 सफाई व उन पर जाली रखवाई जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि नगर निगम क्षेत्र में लगाने वाले जी.टी. एवं जाल के लिए प्रांकलन तैयार कर निविदा की जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 118. | रामगोपाल कालोनी, तिलक नगर, देव कालोनी, कमल कालोनी, भरत कालोनी की कुछ गलियों में पानी लाईन नहीं है, डलवाई जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 119. | देव कालोनी पार्क में मंदिर के पास एक वाटर कूलर रखवाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 120. | वार्ड-12 में स्ट्रीट लाईट काफी जगह नहीं है, लगवाई जाए। | <p>इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया</p> |

| | | |
|-------------------|--|---|
| | | गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 121. | वार्ड 12 में कई कालोनियों की गलियों में बिजली की नंगी तारे लगी है, जिनको हटाकर केवल डलवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे निगम क्षेत्र में जहां-जहां पर तारे नंगी हैं उनकी सूचि तैयार कर उनको कवर करवाना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 122. | वार्ड 12 की कुछ गलियां कच्ची हैं। जिनको बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 123. | शीला बाईपास से सोनीपत रोड व दिल्ली रोड पर फुटपाथ पर जो स्ट्रीट लाईटें लगी है, उसे चालू करवाया जाए। | इस बारे कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि एक सप्ताह के अंदर-अंदर मौका निरीक्षण कर स्ट्रीट लाईटों को चालू किया जाये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 124. | सैक्टर 2-3 पार्ट सोनीपत रोड पर ग्रीन बैल्ट पर बनी दीवार जगह-जगह टूटी है, बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड न.13 | | |

| | | |
|------|---|---|
| 125. | <p>नगर निगम द्वारा वार्ड 13 में डी-प्लान के तहत विकास नगर गली नंबर 1 व झांग कालोनी वन विभाग वाली गली में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने का कार्य आरंभ करवाया गया लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण कार्य नहीं हो सका। लोगों की मांग थी कि सड़क को सी सी से बनवाया जाए। इसके बाद नगर निगम ने विधायक विकास निधि के तहत फिर से इंटरलॉकिंग टाइल्स का ही टैंडर जारी कर दिया। इसी तरह विशाल मेंगा माट्र के साथ वाली गली का कार्य भी स्थानीय लोगों के विरोध के चलते नहीं हो सका। लेकिन अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं है और वह माहौल खराब करना चाहते हैं। इसलिए फिर से इंटरलॉकिंग टाइल्स का ही टैंडर जारी कर दिया गया है। जबकि पूर्व में यह कार्य स्थानीय लोगों के विरोध के चलते नहीं हो सके। अतः आपसे अनुरोध है कि इन सड़कों को स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार सीसी का बनवाया जाए।</p> | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 126. | <p>नगर निगम ने शहर के बाजारों में अतिक्रमण हटाने का सराहनीय प्रयास किया। लेकिन राजनीतिक दुर्भवना के कारण सफल ना हो सका। शहर के प्रमुख बाजारों से पैदल निकलना भी मुश्किल है। लोगों ने पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं। गांधी कैम्प के बाजार में तो नगर निगम ने ही दुकानदारों को 10–10 फुट के फुटपाथ बनवा कर दे रखे हैं। जिस पर दुकानदारों ने स्थाई निर्माण कर लिया है। आपसे निवेदन है कि शहर के सभी बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य फिर से शुरू करवाया जाए।</p> | <p>आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सभी वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण की गई जगह को चिन्हित कर वहां से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 127. | <p>शहर में बनी बहुमंजिला इमारतों, पी.जी., गेस्ट हाउस बड़े होटल व अस्पतालों में आग बुझाने के स्थाई प्रबंध नहीं है और शायद ज्यादातर के पास फायर की एनओसी भी नहीं है। पिछले दिनों मुंडका में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई तथा 27 लोग जिंदा जल गए। अतः इससे सबक लेते हुए शहर के सभी हॉस्पिटल, बहुमंजिला इमारतों, कांप्लेक्स, पीजी में आग से बचाव का स्थाई प्रबंध करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।</p> | <p>इस बारे सहायक दमकल केन्द्र अधिकारी, रोहतक को नगर निगम क्षेत्र में सभी बहुमंजिला इमारतों व वाणिज्यिक इमारतों, होटलों, पी०जी० इत्यादि का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। (कार्रवाई सहायक दमकल केन्द्र अधिकारी रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 128. | <p>नगर निगम वार्ड नंबर 13 के मॉडल टाऊन, मेडिकल मोड, आर्य समाज मंदिर के पास वाले क्षेत्र, 40। वाली गली, मानसरोवर कॉलोनी में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति नहीं होती है। इन क्षेत्रों में जो भी समस्या है, उसका समाधान करवाया जाए। दुर्गा कालोनी व झांग कालोनी में से कई महीनों से गंदे पानी की शिकायत लगातार बनी हुई है। उसका स्थाई समाधान करवाया जाए।</p> | <p>इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 129. | <p>नगर निगम क्षेत्र में पानी व सीवर की समस्या का अंत करने के लिए केंद्र द्वारा वित पोषित 350 करोड़ की अमृत योजना का सही उपयोग नहीं हुआ। पूरा प्रोजेक्ट ही दोषपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट का आम आदमी को अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। नगर निगम द्वारा कार्य ठीक ना करने पर वे देरी से करने पर पानी के ठेकेदार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ दिया गया है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए।</p> | <p>इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि इस बारे जांच अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक के स्तर पर की जा रही है।</p> |
| 130. | <p>नगर निगम द्वारा मॉडल टाऊन कम्युनिटी सैंटर में धार्मिक आयोजन के लिए 16020/- रुपये का रेट निर्धारित</p> | <p>आयुक्त महोदय द्वारा भू-अधिकारी नगर निगम रोहतक</p> |

| | | |
|-------------------|---|--|
| | <p>किया हुआ है। जबकि इससे 10 गुना बड़े और नियमित रूप से बुक रहने शहीद मदन लाल धींगरा कम्यूनिटी सेंटर में केवल 10000/- की रसीद काटी जाती है। यह मॉडल टाऊन कम्यूनिटी सेंटर में धार्मिक आयोजन के लिए 51 सौ रुपए का रेट निर्धारित किया जाए।</p> | <p>को पूर्ण प्रस्तावना तैयार करने उपरांत सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने बारे निर्देश दिये गये। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 131. | <p>नगर निगम की सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 2 Xen, 5 ME व 10 JE है। कोरोना व अन्य कारणों से नगर निगम में नियमित विकास कार्य भी नहीं हो पाए हैं। इसके बावजूद डी प्लान के विकास कार्य पंचायत विभाग से करवाना, नगर निगम के अधिकारियों की क्षमता पर सवाल खड़े करता है। इन सभी कारणों से सदन को अवगत करवाया जाए।</p> | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम के अधिकारी ही डी प्लान तहत आवंटित कार्यों को करवायेंगे अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं करवाये जायेगे।</p> |
| 132. | <p>सोनीपत स्टैंड पर कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास हुए तीन वर्ष हो गए हैं। लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। उसे शुरू करवाया जाए।</p> | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता नगर निगम रोहतक को फाईल पूर्ण दस्येंजों के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 133. | <p>हुड़डा सिटी पार्क के साथ कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हुए तीन वर्ष से जयादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें बुकिंग शुरू नहीं हो पाई। अतः कम्यूनिटी सेंटर का लोकार्पण कर जनता का समर्पित किया जाए।</p> | <p>आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को नियमानुसार आवश्यक कार्वाई के निर्देश दिये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 134. | <p>केन्द्र सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा समाज के कई वर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया गया है। मेरा सदन से अनुरोध है कि नगर निगम के सभी पार्षदों व पूर्व पार्षदों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाए।</p> | <p>सिविल सर्जन कार्यालय से आये अधिकारियों द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार परिवार पहचान पत्र में जिनकी वार्षिक कार्य 1.80 लाख रुपये तक है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।</p> |
| वार्ड न.14 | | |
| 135. | <p>ट्रैफिक पार्क मैडिकल मोड़ से सी.म.ओ. ऑफिस तक कार्य शुरू करवाने बारे।</p> | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिये कि इस कार्य को Road Safety के तहत करवाने के लिए सरकार से फंड उपलब्ध करवाने बारे पत्राचार किया जाये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 136. | <p>स्वामीतित्व का पूरा लाभ दुकानदारों को मिले, इनकी पूरी पेमेंट लेकर रजिस्ट्री करवाई जाए।</p> | <p>आयुक्त महोदय द्वारा भू अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को नियमानुसार जल्द से जल्द लाभार्थियों को स्वामित्व योजाना का लाभ देने बारे निर्देश दिये गये। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |

| | | |
|------|---|--|
| 137. | जन स्वास्थ्य वार्ड में अधूरे कार्य | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 138. | आदर्श नगर में पानी की समस्या का समाधान करे। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 139. | नेताजी पार्क डी.एल.एफ. कॉलोनी में बोर्ड लगवाने बारे। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 140. | सिवरेज की सफाई बारे। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 141. | अशोका चौक से लेबर चौक तक रोड़ का निर्माण करवाने बारे। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अशोका चौक से लेबर चौक तक रोड़ का निर्माण करवाने बारे निर्देश दिये गये (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 142. | विधवा पैशन एवं बुढ़ापा पैशन बारे। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये। (कार्रवाई जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 143. | गांधी नगर में विस्थापित को दुकाने देने बारे। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि विस्थापितों को दुकान देने हेतु पावर हाउस चौक पर स्वामी विषेकानन्द काम्पलैक्स तैयार हो चुका है। जिसको नियमानुसार संबंधित विस्थापित दुकानदारों को दिया जाना है। (कार्रवाई शू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 144. | डैवलपमैट चार्ज का डाटा रिवोट करवाने बारे। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि आमजन द्वारा पोर्टल पर आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। जिस पर नगर निगम रोहतक द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाती है। |
| वार्ड नं.15 | | |
| 145. | डी.एल.एफ. कालोनी की मेन रोड(लेबर चौक से आर्य नगर चौक तक) निर्माण करवाने। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 146. | जगदीश कालोनी की मेन रोड (मनोचा जी के मकान से राम नगर चौक तक) सडक निर्माण करवाने बारे। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 147. | देवराज सोनी वाली गली (डी.एल.एफ. कालोनी) सडक निर्माण करवाने बारे।। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर |

| | | |
|------|--|---|
| | | निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 148. | सड़को की रिपेयर के लिए कम से कम 10 लाख रुपये के कार्यों की स्वीकृति। | आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रुपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रुपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 149. | जमाल हैंडलूम से विनय अरोड़ा के मकान तक (जगदीश कालोनी) सड़क निर्माण। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 150. | घनीपुरा चौक का निर्माण। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 151. | कम से कम 100 स्ट्रीट लाईट। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया |

| | | |
|------|---|--|
| | | गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 152. | सारे वार्ड में सीवरों व नालों की सफाई। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 153. | लोगों के बैठने के लिए 20 बैंच। | इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वार्ड में आवश्यकतानुसार बैंच रखवाये जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 154. | वार्ड से बन्दरों को पकड़ने तथा कुतों को पकड़ने का प्रबन्ध। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा आवारा पशु, कुते व बन्दरों बारे टैण्डर प्रक्रिया में है। टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण हाने उपरांत नगर निगम क्षेत्र से उक्त समस्या का समाधान करवा दिया जायेगा। (कार्वाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 155. | सारे वार्ड में बिजली की लटकती तारों को बदलवाने की व्यवस्था। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे निगम क्षेत्र में जहां-जहां पर तारे लटकी हुई हैं उनकी सूचि तैयार कर उन्हे ठीक करवायें। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 156. | पीने के गन्दे पानी की जगह स्वच्छ पानी की आपूर्ति। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी |

| | | |
|--------------|--|--|
| | | <p>विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| वार्ड नं० 16 | | |
| 157. | काठमण्डी के दोनों साईड का रोड सी०सी० का बनवाया जाए। इस विषय में नगर निगम, रोहतक द्वारा क्या कार्रवाई की गई। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 158. | बिजली की तारों को ठीक करवाने की बात पिछली सदन की बैठक में भी की गई थी उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे निगम क्षेत्र में जहां-जहां पर तारे लटकी हुई हैं उनकी सूचि तैयार कर उन्हे ठीक करवायें।</p> <p>(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 159. | वार्ड में पिछले चार महीनों से पीने का गन्दा पानी आ रहा है इसके लिए जिम्मेवार कौन है। कार्रवाई की जाए। | <p>इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 160. | जब कोई व्यक्ति पानी का कनैक्शन लेता है उससे रोड कट चार्ज लिये जाते हैं। अब जब जनस्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पानी साफ करने का हवाला देकर सारी सड़के तोड़ दी गई उनसे चार्ज क्यों नहीं, क्या निगम ही हर बार उन्हे ठीक करवाता रहेगा। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि जिस-जिस स्थान पर पानी या सीवर के कार्य के लिए रोड/गलियां तोड़ी गई है उनको तुरंत ठीक करवाना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |

| | | |
|------|--|--|
| 161. | बाबाजी वाली गली जो तोड़ दी गई है उसके लिए पाईप लाईन की व्यवस्था कब तक होगी। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 162. | पिछले सदन की बैठक में जो भी एजेण्डे दिये गये थे उन पर कार्रवाई कब तक होगी। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 163. | शौरी मार्किट में बने शौचालयों पर अगर ताला ही लगाना था तो क्यों पैसे खर्च किये। | इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक को शौरी मार्किट में बने शौचालय को खुलवाकर नियमित रूप से सफाई रखने के निर्देश दिये गये। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 164. | बरिश के मौसम में जहा एक तरफ पेड़ पौधे लगाने की बात कही जाती है वही जिवो फाईबर जैसी कम्पनियां ट्री गार्ड हटाकर पोल किससे पूछ कर लगा दिये जाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है। | इस बारे सदन में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा पोल लगवाकर कंपनियों से किराया वसूल किया जाये। इसकी स्वीकृति बारे सरकार को प्रस्ताव भेजा जाये। (कार्रवाई क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 165. | ए०एन०एम० की लिस्ट अभी तक क्यों नहीं दी गई। | आयुक्त महोदय द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय से आये अधिकारियों को वार्ड नं० 16 में कार्यरत ANM की सूचि उपलब्ध करवाने बारे निर्देश दिये। (कार्रवाई सिविल सर्जन रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 166. | स्ट्रीट लाईट कब तक आयेगी पिछले ढाई साल से स्ट्रीट लाईट क्यों नहीं मंगवाई। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 167. | बार-बार कहने पर भी सफाई कर्मचारियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम, रोहतक वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकता है। अतः इस बारे निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। |
| 168. | स्ट्रीट लाईट उतार कर ले जाने उसे फिर से लगाने का रिकार्ड मेनटेन करने का कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 169. | मेन रोड की सफाई सुचारू-रूप से होती है लेकिन गलियों की नहीं। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। (कार्वाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड नं.18 | | |
| 170. | न्यू जनता कॉलोनी में सिविर की लाईन डली हुई है। वह 4 इंच की है, जो रोजाना रुकी रहती है। जिसके कारण गंदा पानी गली व घरों में भर जाता है। इसकी जगह 12 इंच की लाईन डलवाई जाए। जो की अमृत योजना की ड्राईंग में है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 171. | न्यू जनता कॉलोनी में पार्क बनवाने के लिए निगम की जमीन है। उसकी चार दीवारी करके पार्क का सौन्दर्यकरण व ओपन जिम बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा |

| | | |
|------|--|--|
| | | feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 172. | न्यू जनता कॉलोनी, जनता कॉलोनी व न्यू राजेन्द्रा कॉलोनी में लगभग 15 से 20 गलियों में पीने का पानी की लाईन नहीं है, यहां लाईन बिछावाई जाए। जहां लाईन है वहां पानी गंदा आता है, उसे ठीक किया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 173. | पालिका कॉलोनी में लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च करके बूस्टर बनाया गया है, उसको चालू किया जाए। | इस बारे बिन्दु नं 21 पर निर्णय लिया जा चुका है। |
| 174. | नालों की सफाई करवाई जाएं जो इस प्रकार है :— विश्वकर्मा स्कूल से झज्जर चुंगी तक, झज्जर चुंगी से भिवानी चुंगी तक, भिवानी चुंगी से जीन्द वाली रेलवे फाटक तक व सुनारियां चौक से चारामण्डी फाटक तक बरसाती नालों की सफाई करवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि एक सप्ताह के अंदर-अंदर नगर निगम क्षेत्र में स्थित नगर निगम के सभी नालों की सफाई करवाई जाये। (कार्वाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 175. | विद्या सागर पार्क जनता कॉलोनी में रिपेयर व सौंदर्यकरण, ओपन जिम लगवाया जाएं। जागरण पार्क व बालगोपाल पार्क में भी ओपन जिम व लाईट की व्यवस्था की जाए। पालिका कॉलोनी में पार्क की रिपेयर, सौंदर्यकरण व ओपन जिम की व्यवस्था की जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 176. | जनता कॉलोनी हनुमान पार्क नम्बर 2 में समुदायिक केन्द्र बनवाया जाए। पालिका कॉलोनी में सामुदायिक केन्द्र बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। |

| | | |
|------|---|--|
| | | (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 177. | वार्ड में कम से कम 250 स्ट्रीट लाईटों व दस पार्कों में पोल व लाईअलगवानी बहुत जरूरी है। पार्कों में लाईट की व्यवस्था न होने से अंधेरे में शराबी व अवारा तत्व की अधिकता रहती है। जिसकी वजह से आमजन को परेशानी होती है। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 178. | ओमबीर डी०पी० वाली गली जनता कॉलोनी में सी०सी० की बनवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 179. | तेल के डिपो से रामदीया के घर तक सी०सी० गली कृष्णा कॉलोनी में निर्माण करवाया जाए। कृष्णा कालोनी गेट नम्बर 2 से विनोद कुमार व महेन्द्र सहे वाले के घर तक सी०सी० गली का निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 180. | जनता कॉलोनी में सी०सी० गलियों का निर्माण अति आवश्यक है, जो बहुत पुरानी व जर्जर अवस्था में है जिनका विवरण इस प्रकार है। विकास हेयर सलून से काला डेयरी तक सी०सी० गली का निर्माण, राजबरी मलिक से सीताराम पण्डित के घर तक सी०सी० गली का निर्माण, हनुमान पार्क से राजबीर मलिक के घर तक सी०सी० गली का निर्माण, बिहारी भवन से विकास धर्म कांटे वाली गली तक सी०सी० गली का निर्माण, सरस्वती सदन (भारत भूषण सांघी) से बलराम के घर तक सी०सी० गली का निर्माण, कृष्ण बलहारा के घर से त्रिवेणी पार्क व किलोई वाले पण्डित के घर तक सी०सी० गली का निर्माण, त्रिवेणी पार्क वाली गली सी०सी० निर्माण, हनुमान पार्क के चारों तरफ सी०सी० गली का निर्माण, जे०आर०बी०एल० स्कूल से लेकर त्रिवेणी पार्क तक सी०सी० गली का निर्माण, रिलाइन्स फैश वाली गली जनता कॉलोनी में सी०सी० गली का निर्माण, गुरु कृष्ण ट्रैडिंग वाली सी०सी० गली का निर्माण, रवि किरयाणा | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|-------------------|--|--|
| | स्टोर वाली गली जनता कॉलोनी मे सी०सी० गली का निर्माण, माया के मकान से राममेहर बाल्मीकी के घर तक न्यू जनता कॉलोनी मे गली का निर्माण, डॉ राजेश शर्मा वाली गली का निर्माण व अप्रोच गली न. 1,2,3 जनता कॉलोनी मे गली का निर्माण। | |
| 181. | जनता कॉलोनी मे बरसात के पानी की निकासी के लिए जी०टी० लगी है। उन पर लोहे की जाली नहीं है और कूड़े से भरी हुई है व जाम है। उनकी सफाई करवाई जाए तथा जी०टी० पर जाली की व्यवस्था की जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि नगर निगम क्षेत्र मे लगाने वाले जी.टी. एवं जाल के लिए प्रांकलन तैयार कर निविदा की जाये। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 182. | महेन्द्र वाली गली व न्यू अग्रसेन कॉलोनी वाली गली का निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 183. | रितेश सिंहपुरिया वाली गली का सी०सी० गली का निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड न.20 | | |
| 184. | मेरे वार्ड मे सामुदायिक केन्द्र है उसमे हलवाई का शैड, फास्ट फूड का शैड व अन्य कार्य करवाने के लिए 25 लाख रु० मंजूर करवाये जाये। बाहर सामुदायिक केन्द्र का साईन बोर्ड लगाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कारवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 185. | वार्ड मे 15 की बजाय 20 सफाई कर्मचारी लगाये जाये। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम, |

| | | |
|------|--|---|
| | | रोहतक वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकता है। अतः इस बारे निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। |
| 186. | वार्ड 20 में कमला नगर प्रीत विहार, अम्बेडकर कालोनी, राजीव नगर, एकता कालोनी, कन्हेली गाँव का पार्ट, ग्रीन पार्क में गलियां टूटी हुई हैं जिसको ठीक करवाने के लिए लगभग 5 करोड बजट मंजूर किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 187. | डेयरी कम्पलैक्स में सभी सड़के पक्की करवाई जाए। पीने का पानी व सीवर लाईन की व्यवस्था मार्किट की दुकान अधूरी है उनको बनवाया जाए। पशु अस्पताल बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 188. | अमृत योजना में कन्हेली रोड पर पाईप लाईन बिछाई थी जो बाद में वापिस ले गये यह नई सड़क एक वर्ष पहले नहीं बनाई थी। वह नई सड़क अमृत योजना से बनाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दो दिन के अंदर-अंदर सभी वार्डों का निरीक्षण कर सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मिलकर अमृत योजना के कार्य के लिए तोड़ी गई गलियों/सड़कों की सूचि तैयार की जाये व सम्बन्धित एजेन्सी से गलियों/सड़कों को रिपोर्ट करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक |
| 189. | वार्ड में सभी सीवर के मेन होलो की सफाई करवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|-------------------|---|---|
| 190. | वार्ड में लगभग लगी लोहे की जी0टी0 चोरों ने उखाड़ ली इन्हे सर्वे करवाकर दोबारा लगवाया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि नगर निगम क्षेत्र में लगाने वाले जी.टी. एवं जाल के लिए प्रांकलन तैयार कर निविदा की जाये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 191. | वार्ड नं0 20 में बिजली के नये खम्बे लगे हैं व जो लाईटे ठीक नहीं हो सकती इसलिए वार्ड में 200 नई लाईटे लगाई जायें। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 192. | वार्ड नं0 20 में कूड़ा उठाने वाली 05 नई रिक्षा रेहड़ी दी जाए। हाऊसिंग बोर्ड में व अन्य कालोनियों में जहा पर गाड़ी नहीं जा सकती उन गलियों के लिए 05 नई रेहड़ियां दी जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि जिन-जिन वार्डों में रेहड़ियों की आवश्यकता है उनकी सूचि तैयार की जाये व आवश्यतानुसार उपलब्ध करवाई जाये। (कार्वाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड न.21 | | |
| 193. | शीतल नगर झज्जर रोड पर सिचाई विभाग सुनारियां बुर्ज नं0 6820 में नहरी पानी पुरानी शुगरमील में जाना व पुरानी शुगरमील वाली स्थानान्तरण हो गया है वो इस माईनर में पानी नहीं जाता है। अब कालोनी वासियों द्वारा इस बन्द पड़ी माईनर में सभी प्रकार की गन्दगी डाली जाती है जिसे पूरा साल बदबू आती रहती है तथा कालोनी में कोई बड़ी बिमारी फैलने का खतरा बना रहता है। सिचाई विभाग की माईनर नं0 6820 बुर्जों की जमीन नगर निगम में स्थानान्तरण करके रोड बनाया जाए ताकि आमजन सुख ले सकें। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 194. | हाऊस टैक्स वालों नें शहरवासी लोग रकबा ठीक करवाने व नाम ठीक करवाने आते हैं तो मैंने खुद कई बार दिये हैं हाऊस टैक्स के कर्मी उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते और उनकी ऑन लाईन ठीक करवाने की बात कहकर टाल देते हैं और बेचारे बाहर भी ऑन लाईन करवाकर आते हैं। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ऑनलाईन आवेदन करवाने के लिए कार्यालय में ही कर्मचारियों की डयूटी लगा दी गई है जोकि आमजन के आवेदन लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि वे |

| | | |
|------|--|--|
| | | निर्धारित समयावधि में ही आवेदनों पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। |
| 195. | वार्ड नं० 21 की डा. भीमराव अम्बेडकर पार्क में एक लाइब्रेरी खोली जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 196. | वार्ड नं० 21 बाहरी होने के कारण बहुत सी कच्ची गलियां पड़ी हैं उनको पक्का किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 197. | सीवर लाईन बन्द पड़ी है उसको भी ठीक करवाया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 198. | बिजली की तारे भी नीची है उन्हे भी ठीक किया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे निगम क्षेत्र में जहां-जहां पर तारे लटकी हुई हैं उनकी सूचि तैयार कर उन्हे ठीक करवायें। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 199. | वार्ड नं० 21 के राम नगर, अजीत कालोनी व अमृत कालोनी में पानी कमी है इन तीन कालोनियों में पानी ही नहीं | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, |

| | | |
|------|--|---|
| | आता। अजीत कालोनी व अमृत कालोनी में पानी का बूस्टर मंजर क्यों नहीं हुआ कारण बताया जाए। | जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 200. | सन् 2014–15 में झज्जर रोड पर एक शमशान घाट मंजूर हुआ था उस पर टैण्डर निकाल राठी फर्म को एक करोड़ 44 लाख का टैण्डर हुआ था। आचार सहिता के कारण चालू नहीं हो पाया अब तक चालू क्यों नहीं हुआ कारण बताए। | इस बारें कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को नियमानुसार एवं फण्ड की उपलब्धता अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 201. | यासी कम्पनी ने पूरे शहर में सर्वे ठीक नहीं किया और जो भी नोटिस बाटे गये वे सभी गलत हैं या तो घर-घर जाकर बिल ठीक किये जाये या फिर इनका टैण्डर कैसिल किया जाए ताकि आम आदमी को मुसिबत का सामना ना करने पड़ें। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए जब तक नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्तिकर का डाटा कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया जाता तब तक याशी कंस्लॉट्सी द्वारा किए गए सर्वे के लिए किए जाने वाले भुगतान व सिक्योरिटी राशि को तुरंत प्रभाव से रोकने व इस संदर्भ में नगर निगम रोहतक से जारी सभी सर्टिफिकेट निरस्त करने बारे निदेशालय को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। (कार्रवाई क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 202. | न्यू जनता कालोनी में जो सीवर की लाईन डली हुई है व प्राइवेट डीलरों द्वारा जो लाईन डाली गई थी वो बिल्कुल ब्लाक रहती है उसे ठीक करवाया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

वार्ड नं.22

| | | |
|------|--|---|
| 203. | सुनारियॉ कला से झज्जर रोड़ तक का रास्ता बनाया जाए जो 1.50 किलोमीटर लम्बाई व 27 फुट चौड़ा है। | इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 204. | सुनारियां कला में पार्क के साथ मंडपाला जोहड़ की चारदीवारी व दोनों तरफ की गलियों का निर्माण कार्य करवाया जाए। | इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 205. | सुनारियां खुर्द में सीटू के मकान वाली गली का निर्माण करवाया जाए। | इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 206. | सुनारिया कला मंडपाला जोहड़ पर एक बूस्टर पानी निकासी हेतु व 1.50 किलो की पाईप लाईन दबाई जाए। | इस बारे महापौर महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सिचाई विभाग में वर्तमान में पाईप उपलब्ध हो सकती है, अतः सिचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर मंडपाला जोहड़ के पानी की निकसी का कार्य करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 207. | श्री राम नगर कालोनी जय पाल प्रधान वाली गली का निर्माण करवाया जाए। | इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा |

| | | |
|------|--|---|
| | | feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 208. | सुनारियां कला में मेहतान पाने की चौपाल 2014 में तोड़ दी गई थी जिसका निर्माण आज तक नहीं हुआ। जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 209. | सुनारियां खुर्द में जय किशन वाली गली का निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 210. | सुनारिया खुर्द व कला में 10 पुलियों का निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 211. | सुनारियां कला में बड़े जोहड़ के पास सन्दीप वाली गली का निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|------|---|---|
| 212. | सुनारियां में एक स्टैडियम बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 213. | सुनारिया में कम्युनिटी सेन्टर, शमशान घाट, लाईब्रेरी हाल पार्क में ट्रैक आदि अधूरे पड़े हैं जल्द से जल्द ठीक करवाये जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 214. | सुनारिया में 100 लाईट लगाई जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 215. | सुनारिया में 100 बैच रखवाए जाए। | इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वार्ड में आवश्यकतानुसार बैच रखवाये जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 216. | सुनारिया में 10–12 गलिया जर्जर है ठीक करवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा |

| श्री आदेश सक्सेना मनोनीत निगम पार्षद | | की जानी हैं) |
|--------------------------------------|--|--|
| 217. | भिवानी स्टैप्ड से कसाई वाला चौक तक सारा रोड टूटा पड़ा है। उस पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। उस रोड को सिमेंट वाला रोड बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 218. | बगांली गली केवल गंज को सीमेंट वाला बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 219. | केवल गंज में पीने का पानी बहुत गंदा आता है। कृप्या करके पंजाब नेशनल बैंक से सब्जी मण्डी मोड़ तक पानी की पाईप लाईन नई डलवाई जाए। जिससे पीने का पानी साफ हो सके। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 220. | बड़ा बाजार रोड कई जगह से टुटा हुआ हैं। उसको भी बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|------|---|---|
| 221. | केवल गंज की दोनों साईड की नालियां भरी रहती हैं। उनको साफ करवाया जाए या नई बनाई जाए। | इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा केवल की नालियों की सफाई करवाई जा चुकी है तथा समय-समय पर सफाई का कार्य करवा दिया जायेगा। |
| 222. | कायस्थ शमशान भूमि को सुन्दर बनाया जाए। नजदीक जीन्द बाईपास | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 223. | राधे-राधे पार्क के पीछे बूस्टर के आगे रोड़ को बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 224. | मदन लाल धीगड़ा कम्पूनिटी सेन्टर हाल की फाल सिलिंग ठीक करवाई जाए जो गिरने को है। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 225. | कई जगह नई लाईट की डिमांड है। उन को भी लगवाया जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 226. | हर वार्ड में सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम, रोहतक वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकता हैं। अतः इस बारे निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। |
| श्री अमित बंसल मनोनीत निगम पार्षद | | |
| 227. | त्रिवणी पार्क का सौन्दर्यकरण करवाया जाए। (व्यायाम की मशीनें, झूले, स्टील के गेट, दीवारों पर टाईल्स एवं पथर) | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 228. | जीवन राम बसेश्वर लाल स्कूल से लेकर छाबड़ा केबल वाली गली तक सड़क बनवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 229. | दुर्गा देवी मंदिर से सरकुलर रोड तक सड़क बनाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 230. | हनुमान पार्क में कम्युनिटी सैन्टर बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा |

| | | की जानी हैं) |
|------|---|---|
| 231. | रिलाईन्स फ्रैश से लेकर शिव पार्क तक रोड़ बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 232. | बाल–गोपाल पार्क कलकता कोठी वाली रोड़ को बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 233. | रोहिला मशीन वाली रोड़ को बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 234. | छाबड़ा केबल वाली गली को बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 235. | रंगा वाली गली को बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | | feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| श्री राजेश सैनी मनोनीत निगम पार्षद | | |
| 236. | झज्जर मोड़ के सामने सरदार चाट वाले से किला रोड़ मोड़ तक पानी की नई लाईन डलवाने हेतु। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 237. | झज्जर मोड़ के सामने सरदार चाट वाले से किला रोड़ मोड़ तक सीवर की नई लाईन डलवाने हेतु। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 238. | रैनकपुरा शमशान घाट में खाली जगह में पार्क, पुलिस बीट व रीहैब्लिटेशन सेन्टर बनवाने हेतु। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 239. | गोहाना रोड़ चौधरी पैट्रोल पम्प से किले में मन्दिर तक स्लोप ठीक करवाने व नई गली बनवाने हेतु। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर |

| | | |
|------|---|---|
| | | <p>निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 240. | शिवाजी कालोनी बाल्मिकी बस्ती में नई सीवर लाईन डलवाने हेतु। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 241. | शिवाजी कालोनी बाल्मिकी बस्ती में गलियां बनवाने हेतु। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 242. | फतेहपुरी कालोनी गली न.1 जीन्द रोड़ की तरफ पाईप लाईन लगभग 12 जगह से लीक है। बुस्टर तक सारा पानी बरबाद होता है। कृप्या इसे ठीक करवाया जाए। | |
| 243. | फतेहपुर कालोनी मुर्गी खाने के सामने भीम अखाड़े वाली गली जो सीधी रैनकपुरा रोड़ पर निकलती है। वहां दो पाईप लाईन दबी हैं, परन्तु पीने का पानी नहीं आता। अतः अमृत योजना के तहत पीने के पानी का प्रबंध करवाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |

| | | |
|------|--|--|
| 244. | पार्षद श्री राजेश सैनी गली, सैनी गली ग्रीन रोड गली नं० ९ लक्ष्मी बहन जी से घुमते हुए घोबी की दुकान तक। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 245. | रैनकपुरा तालाब के साथ गाँव की जमीन में बूस्टर जो कि वहां के वासियों का जीवन मरण है बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 246. | रैनकपुरा तालाब का जिरीद्वार यानि पक्का करवाया जाए सरकार की घोषनाओं अनुसार करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 247. | आजाद गढ़ में वार्ड नं० ७ बीरु डेयरी वाली गली बनवानी है लगभग 100 फुट एरिया। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 248. | नगर निगम कर्मचारी संघ हरियाणा अनुरोध करता है कि कार्यालय नगर निगम, रोहतक में कार्यरत कर्मचारियों को नगर निगम की तरफ से 100–100 गज के प्लाट/आवास देने के बारे संघ द्वारा कई बार मांग पत्र दिया जा चुका है जो कि लम्बित है। इससे कर्मचारियों में रोष है। नगर निगम, रोहतक में अधिकतम सफाई कर्मचारी कार्यरत है जिनके पास परिवार के लिए आवास नहीं है। निगम के पास देने के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। | इस बारे सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सरकार से पत्राचार करने वारे निर्णय लिया गया। (कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|-------------|--|--|
| | निगम के कर्मचारियों को सरकारी आवास दिये जाने के लिए कार्यालय नगर निगम, रोहतक द्वारा जो भी शर्तें रखी जायेगी उनका शर्तों सहित पालन किया जायेगा। इसको आप होने वाली सदन की बैठक में पास करवाने का कष्ट करें। | |
| वार्ड नं. 2 | | |
| 249. | दिनांक 18.02.2020 को हाऊस की मीटिंग में भी नेहरू कॉलोनी पार्क, गौकर्ण तालाब पर हनुमान वाटिका पार्क व शिव कॉलोनी में पुल के नीचे जिम लगवाया जाए। | इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 250. | वार्ड नं.2 में कम से कम 500 लाईटों की आवश्यकता है। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 251. | दिनांक 10.09.2019 की मीटिंग में नेहरू कॉलोनी में नगर निगम की जमीन पर सामुदायिक केन्द्र को लिखा था जो 01.01.2020 के MCR/EE/2020/5890 को 49.99 लाख रुपये के फण्ड के लिये भेजा गया था। इसका निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 252. | नेहरू कॉलोनी में मैन रोड 60 फुट रोड बिल्कुल टूटा पड़ है। इसके सी0सी0 का बनाया जाए व रोड के दोनों तरफ बरसात के पानी की निकासी के लिये पाईप दबाई जाये व दो फुट चौड़ा फुटपाथ बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|------|--|--|
| 253. | बड़सी नगर चन्दू लाल के पेट्रोल पम्प के सामने दो गलियों में पीने के पानी की लाईन डाली जाए व गली को पक्का किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 254. | वार्ड न0 2 की कॉलोनी जिसमें सीवर डाले गये हैं, पानी की पाईप अधूरी है व गलियों को पक्का किया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दो दिन के अंदर-अंदर सभी वार्डों का निरीक्षण कर सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मिलकर अमृत योजना के कार्य के लिए तोड़ी गई गलियो/सड़को की सूचि तैयार की जाये व सम्बन्धित एजेन्सी से गलियो/सड़को को रिपेयर एवं लंबित कार्य पूर्ण करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 255. | <p>नेहरू कॉलोनी में कुछ गलियां ऐसी हैं। जिसमें प्लास्टिक का 4 इंची सीवर लाईन है। ये हर दूसरे दिन रुकी रहती है। ये लोग हाऊस टैक्य व पानी का बिल भरते हैं। लेकिन सफाई के समय गली वालों को बोला जाता है कि लाईन प्राइवेट है। अतः आपसे निवेदन है कि इन गलियों में 8 इंची की पाईप डाली जाए।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आई0पी0एस0 स्कूल के साथ गली जो लगभग 100 फुट है। 2. मदन व रिन्कू भुजिया वाले की गली जो लगभग 150 फुट है। 3. जैन डिपो के पीछे बलबीर मिस्त्री वाली गली 100 फुट है। 4. तिकोना पार्क के साथ अनिल वाली गली 100 फुट है। 5. जीन्द रोड शिव मंदिर के सामने वाली गली 150 फुट है। 6. बड़सी नगर गड्ढशाला की जगह पर 300 फुट पाईप डाली जाए। 7. रुप नगर गली न0 8 में सीवर लाईन 80 फुट है। 8. इन्द्रा कॉलोनी रोड पर खुम्बी फार्म के पास लगभग 200 फुट 12 इंची सीवर लाईन है। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 256. | नगर निगम रोहतक में सफाई सैनानियों के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत सभी कर्मचारियों को 100–100 गज के प्लाट या फ्लैट बनाकर दिये जाए और सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सरकार से पत्राचार करने वारे निर्णय लिया गया। (कार्रवाई कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 257. | शिवाजी कॉलोनी की नई सड़क बनाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा |

| | | |
|------|---|---|
| | | feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 258. | हाऊसिंग बोर्ड, श्री नगर, टेक नगर, काठ मण्डी, आजाद नगर, चिन्होट कॉलोनी, पटेल नगर, राज कॉलोनी, न्यू चिन्होट कॉलोनी की नई सड़क बनाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 259. | पटेल नगर में नए बने बूस्टर को जल्द शुरू किया जाए। | इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक को जल्द से जल्द नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिये गये (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 260. | श्रीनगर कॉलोनी में नए बने रविदास पार्क का कार्य अधूरा पड़ है। उसे पूरा किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 261. | अमृत योजना द्वारा श्रीनगर कॉलोनी में बरसाती लाईन डाली गई थी। उसको पी0जी0आई0 से जोड़ा जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 262. | टेक नगर, श्री नगर, हाऊसिंग बोर्ड और न्यू चिन्होट कॉलोनी में पानी की नई लाईन डाली जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के |

| | | |
|------|---|---|
| | | कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 263. | पटेल नगर में गुरु नानक पार्क का पूर्ण निर्माण किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 264. | चिन्योट कॉलोनी में शिव शम्भू पार्क का निर्माण किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 265. | श्री नगर कॉलोनी, न्यू चिन्योट कॉलोनी में बरसाती पानी के लिए निकासी के लिए डिस्पोजल बनाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 266. | हाऊसिंग बोर्ड में बरसाती पानी की लाईन अधूरी है। उसका काम पूरा किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा |

| | | |
|--|---|---|
| | | की जानी हैं) |
| 267. | पार्कों में 40 बैचों की आवश्यकता है। | इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वार्ड में आवश्यकतानुसार बैच रखवाये जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 268. | पुरानी आईटीआई प्लाई ओवर के पास एक गौल चक्कर का निर्माण करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 269. | शिवाजी कॉलोनी में Rain Harvesting का काम पूरा किया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि लॉबिट कार्यों की सूचि तैयार की जाये जिन कार्यों के पूर्ण होने में खर्च कम होना हो, उन्हे डी-प्लान के कार्यों में शामिल कर करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 270. | रामलीला ग्राउंड पार्क में बच्चों के झूले लगाए जाएं। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| श्री राजकमल सहगल, वरिष्ठ उपमेयर | | |
| 271. | ऑक्सीजन होस्पिटल के साथ लगती हुई गली में सीवरेज के ढक्कन की समस्या। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि सभी वार्डों के लिए टीम गठित कर, मौका निरीक्षण करवाया जाये तथा जिस-जिस रथान पर सीवरों के ढक्कन एंव जाल नहीं की सूचित तैयार कर उनको तुरंत |

| | | |
|------|--|--|
| | | प्रभाव से लगवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 272. | पुरानी अनाजमण्डी रामलीला ग्राउंड के साथ सीवरेज के ढक्कन की समस्या। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि सभी वार्डों के लिए टीम गठित कर, मौका निरीक्षण करवाया जाये तथा जिस-जिस रस्थान पर सीवरों के ढक्कन एंव जाल नहीं की सूचित तैयार कर उनको तुरंत प्रभाव से लगवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 273. | धोबी घाट, सोनीपत स्टैण्ड, मानसरोवर पार्क के पास पिछले कई दिनांक से सीवर के ढक्कन की हालात खराब है। जिसके कारण पानी गन्दा आ रहा है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि सभी वार्डों के लिए टीम गठित कर, मौका निरीक्षण करवाया जाये तथा जिस-जिस रस्थान पर सीवरों के ढक्कन एंव जाल नहीं की सूचित तैयार कर उनको तुरंत प्रभाव से लगवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 274. | रामनगर कॉलोनी सीवरेज की समस्या। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 275. | गांधी कैम्प शिव मन्दिर के पास पीने के पानी की समस्या है। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|------|--|---|
| 276. | श्रीराम जानकी मन्दिर नियर पटवार खाना के पास सीवरेज और पानी की नई लाईन डालनी हैं। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 277. | श्रीराम सत्संग भवन, प्रताप गली, गौसाई चौक, पहाड़ा मौहल्ला सीवरेज की समस्या है। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 278. | किला रोड़ गन्नेरी वाली गली में पिछले कई समय से पानी गंदा आ रहा है। | <p>इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 279. | झांग कालोनी, फोर्स्ट ऑफिस के सामने वाली गली में पिछले काफी सालों से सीवरेज की लाईन नहीं है, जिससे वहां के लोग काफी परेशान हैं। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |

| | | |
|------|--|---|
| 280. | वार्ड नं 14 में गांधी नगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विधालय (Boys) का नाम शहीद सिपाही अरविन्द के नाम पर रखने पर। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सब कमेटी में भेजने का निर्णय लिया गया। |
| 281. | वरिष्ठ उपमहापौर के कमरे के अंदर जो कमरा है उसको खाली करवाकर रेस्ट रूम या बाथरूम बनाया जाये। इस बारे काफी समय से अनुरोध किया जा रहा है। | इस बारे रिकार्ड कीपर को तुरन्त रिकार्ड वहां से हटाने व कार्यकारी अभियंता को नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये गये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व रिकार्ड कीपर नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 282. | सैक्टर 3 के पार्क में कुर्सी, जिम मशीनें इत्यादि लगवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 283. | कच्चा बेरी रोड पर पार्क का नाम संत सतगुरु दास शर्मा (सांसद डा० अरविन्द शर्मा के पिताजी) के नाम से रखा जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सबकमेटी में भेजने बारे निर्णय लिया गया। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 284. | गांधी कैम्प में पब्लिक पार्क का नाम 1008 महामण्डलेश्वर स्वामी अमृतानन्द के नाम से रखा जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सबकमेटी में भेजने बारे निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि पूर्व में यदि किसी पार्क/ चौक का नाम रखा जा चुका है तो उसका नाम न बदला जाये। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 285. | पुरानी आई0टी0आई0 में गुरु जी बड़े मन्दिर छतरपुर की आस्था को देखते हुए प्रमुख संस्थान संस्था को देने के लिए। संस्था उस स्थान की कीमत चुकाने को भी तैयार है। | आयुक्त महोदय द्वारा भू-अधिकारी नगर निगम रोहतक को पूर्ण प्रस्तावना तैयार करने उपरांत सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने बारे निर्देश दिये गये। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 286. | प्रताप चौक पर गौरव मैचिंग सैन्टर के पास हर दूसरे दिन सीवर लाईन रुक जाती है और बैक मारती है। सीवर लाईन नई डलवाने हेतु। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के |

| | | |
|------|--|---|
| | | <p>कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 287. | राधे-राधे पार्क के बाथरूम की सीवर लाईन को मेन रोड़ वाली लाईन से जोड़ने हेतु। | <p>इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 288. | प्रताप गली के सीवर की लाईन डलवाने हेतु। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 289. | इंदिरा कालोनी वार्ड न0 3 मेन रोड़ पर सीवर की नई लाईन डलवाने हेतु। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 290. | Govt. School की खाली जमीन पर पार्किंग बनवाने हेतु। (नजदीक बब्बी पूँडी वाला) | <p>सदन को अवगत करवाया गया कि यह भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। अतः Govt. School की खाली जमीन पर पार्किंग बनाने हेतु हरियाणा शहरी विकास</p> |

| | | |
|------|--|---|
| | | प्राधिकरण से पत्राचार करने के निर्देश दिए गए। (कार्वाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 291. | तिलक नगर गली नं0 9 में प्लास्टिक के स्पीड ब्रेकर बनवाने हेतु। | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार स्पीड ब्रेकर लगवाये जाने संभव नहीं है। |
| 292. | कच्चा बेरी रोड पर शौचालय के रख—रखाव हेतु एक कर्मचारी मुहैया करवाया जाए। | इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित सभी शौचालयों की सफाई एवं उन पर कर्मचारी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। (कार्वाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 293. | पानी की समस्या वार्ड न0 17 में और पूरे शहर में इतनी खस्ता हालात में हो चुकी है कि लोग गन्दा पानी पीने को मजबूर हैं। जैसे पाड़ा मौहल्ला, किला मौहल्ला, गोहाना अड़डा व तेज कॉलोनी। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 294. | वार्ड न0 17 और पूरे शहर सीवरेज की समस्या भी इतनी ज्यादा है कि हर तीसरे दिन सीवर बैक मार जाते हैं और भर जाते हैं। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 295. | प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी काम नहीं होना चाहिए। | यह संभव नहीं है, परन्तु नगर निगम, रोहतक द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों की सूचि वार्ड सदस्यों को उपलब्ध करवाई जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 296. | 20 लाख को जो टैंडर हुआ है उसको सी0सी0 का किया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर |

| | | |
|------|--|--|
| | | निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 297. | पैंशन के लिए 5वीं, 6वीं की मार्कशीट को किसलिए आमान्य किया गया है? | इस बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक को नियमानुसार कार्वाई करने के निर्देश दिए गए। (कार्वाई जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 298. | जिनकी लाडली पैंशन बन्द हो गई है तो उसको बुढ़ापा पैंशन में कन्वर्ट किया जाए, अगर उनकी आयु 60 वर्ष हो गई है। | इस बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक को नियमानुसार कार्वाई करने के निर्देश दिए गए। (कार्वाई जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 299. | बच्चों की पैंशन डी०सी० ऑफिस में कम्प्यूटर पर शो कर रही है और बैंक में नहीं आ रही है। | इस बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक को नियमानुसार कार्वाई करने के निर्देश दिए गए। (कार्वाई जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 300. | अगर जो व्यक्ति 2015 में हाऊस टैक्स या कोई भी कर निगम को जमा कराता है और उससे उसकी रसीद अगर गुम हो जाती है तो निगम के पास भी उसका कोई प्रूफ जरूर होना चाहिए। निगम दोबारा कर वसूल रहा है, जिससे जनता परेशान हो रही है। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक में सभी प्रकार की जी-८ ऑनलाईन ही काटी जा रही है जिसका रिकार्ड तुरंत अपडेट हो जाता है। |
| 301. | जमीन की एन०डी०सी० लेने के लिए जनता बहुत परेशान है। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि यह कार्य ऑनलाईन हो चुका है जिसको आमजन सम्बन्धित बकाया भरकर ऑनलाईन एन०डी०सी० पोर्टल से ले सकते हैं। |
| 302. | अगर नगर निगम में जो कोई फाईल जमा कराता है तो उसका समय निर्धारित किया जाए कि इतने समय में उसका कार्य हो जाएगा। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सभी शाखा प्रभारियों को RTS के दायरे में निर्धारित समयावधिनुसार फाईलों के निपटान हेतु निर्देश दिए गए। |
| 303. | Installation, maintenance & operation of modern police traffic booth with drinking water facilities on PPP for 20 years | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि police traffic booth का साईज शर्तोनुसार न होने के कारण उन्हे हटवा दिया गया है। |

| | | |
|------|--|--|
| 304. | प्रताप मौहल्ला, वार्ड न0 6 में सीवरेज जाम खुलवाने व सरकारी करवाने हेतु। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 305. | प्रताप चौक से कसाई वाला चौक सारा टूटा पड़ा है जिस पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। | <p>इस बारे सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 306. | प्रताप मोहल्ला में काफी समय से काफी गंदा पानी आ रहा है। कोई अधिकारी मौका देखकर गये अब तक उसका कोई हल नहीं हुआ। | <p>इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 307. | प्रताप चौक पंजाबी रामलीला वाली गली दोनों तरफ नालियां बंद हैं। जिस कारण थोड़ी सी बरसात में वहां पानी भर जाता है। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक को नोलियों की सफाई के निर्देश दिए गए। (कार्रवाई संबंधित मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 308. | चमेली मार्किअ महाबीर मन्दिर वाली गली के अन्दर 60 फुट की सीवरेज की लाईन डलवानी है। वहां पर कोई भी सीवरेज की लाईन नहीं है जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 309. | गुलाब रेवड़ी चौक से बड़ा बाजार, बालाजी गोल गप्पे वाले तक सड़क टूटी पड़ी है, इसको नई बनवानी है। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 310. | भगत सिंह पार्किंग से गोहाना अड्डे तक सीवरेज की सबसे ज्यादा प्रोब्लम है और यहां की जनता बहुत परेशान है। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 311. | पप्पू स्वीट्स से लेकर भाटिया स्कूल तक सड़क टूटी पड़ी है और सीवरेज की लाईन ब्लाक पड़ी है। इसको ठीक करवाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 312. | पप्पू स्वीट्स से लेकर माता मन्दिर चौक तक बहुत ज्यादा गंदा पानी आ रहा है। वहां पर नई पाईप लाईन दबवाई जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 313. | टिबरी मोहल्ला, चावला चौक में सीवरेज की सारी लाईन बैठ गई है। जिसके कारण घरों के अन्दर दरार आ गई है। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 314. | किला मोहल्ला सरदार चाट वाले की इन्टरी करते ही एक पुलिया बनाई जाये, जहां पर लोगों का बहुत ज्यादा एक्सीडैन्ट होता है। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 315. | वार्ड के अन्दर पब्लिक हैल्थ वाले जहां भी पानी चैक करते हैं, सड़क तोड़ने के बाद उसके ऊपर कोई भी मुरम्मत नहीं करते। जिसके कारण सारी सड़क बैठ जाती है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि जिस-जिस स्थान पर पानी या सीवर के कार्य के लिए रोड/गलियां तोड़ी गई है उनको तुरंत ठीक करवाना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 316. | कच्चा बेरी रोड पर एक नया बाथरूम बनाया जाये। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

| | | |
|------|--|--|
| 317. | केवलगंज बंगाली वाली गली के अन्दर सिवरेज की लाईन बैठ गई है। जिसके कारण वहां की सारी सड़क टूटी पड़ी है। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 318. | थोड़ी सी बरसात के अन्दर प्रताप चौक व किला रोड़ पूरा भर जाता है। जिसके कारण दुकानदारों को व आने जाने वालों को बहुत समस्या है। इसका समाधान जल्द से जल्द करवाया जाए और वहां पर दो मोटर लगाई जाये जिससे बरसात रुकते ही पानी निकल जाये, नहीं तो कई घंटों तक पानी वहां खड़ा रहता है। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का स्थाई समाधान किया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 319. | डेरियों के अन्दर लावारिस पशु बहुत ज्यादा है और आने जाने वालों को कई बार सींग मार चुके हैं। जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा आवारा पशु, कुते व बन्दरों द्वारे टैण्डर प्रक्रिया में है। टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण हाने उपरांत नगर निगम क्षेत्र से उक्त समस्या का समाधान करवा दिया जायेगा। (कार्वाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 320. | अर्जुन गली की बैक साइड में पिछले तीन सालों से सिवरेज की लाईन के लिए अधिकारियों को बोल रखा है। लेकिन आज तक कोई परेशानी हो रही है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 321. | वाडे के अन्दर स्ट्रीट लाईट बहुत ज्यादा खराब है। जब शिकायत करते हैं तो लाईट को उतारकर ले जाते हैं। जिसके कारण दो-दो व तीन-तीन महीने लाईट लगाने नहीं आते। कृपा करके वाडे के अन्दर नई लाईट लगाई जाये। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार |

| | | |
|------|---|--|
| | | को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्वाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 322. | दीन दयाल दरोगा के पास सबसे कम कर्मचारी है जिसके कारण वार्ड के अन्दर सफाई नहीं हो पा रही है। कृप्या करके दरोगा को कर्मचारी उपलब्ध करवाई जावे। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम, रोहतक वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकता है। अतः इस बारे निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। |
| 323. | पेच परसराम मालगोदाम रोड और नई अनाजमण्डी में गंदा पानी आ रहा है। कृप्या वहां पर पानी साफ करवाया जावे। | इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 324. | कच्चा बेरी रोड के तीनों बाथरूमों की मुरम्मत की जावे। | |
| 325. | राम जानकी मन्दिर वाली गली, अर्जुन गली की पीछे वाली गली, गुरुचरण वाली गली नं 0 1 और परमेश नगर, पीछड़वाड़ा मौहल्ला, यहां पर इन्टरलोक की बजाय सी.सी. गलियों का निर्माण किया जाए, ताकि बारिश के दिनों में पानी का बहाव ठीक हो सके। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 326. | गुरु जी बड़े मंदिर की आस्था को देखते हुए कुछ जमीन इस संस्था को दी जाए। | इस बारे बिन्दु नं 0 283 पर निर्णय लिया जा चुका है। |
| 327. | सीनियर डिप्टी मेयर के कमरे के अंदर एक स्टोर रूम है। उसके अंदर पुराने दस्तावेज पड़े हुए हैं। उनको वहां से निकलवाकर रिकार्ड रूम में रखा जाए। वहां पर कमरे में इतने चूहे हैं कि ऑफिस में भी बैठा नहीं जाता। कृप्या करके उन दस्तावेजों को वहां से निकलवाया जाए और वहां पर रेस्ट रूम (वेटिंग रूम) बनाया जाए। | इस बारे रिकार्ड कीपर को तुरन्त रिकार्ड वहां से हटाने व कार्यकारी अभियंता को नियमानुसार आगामी कार्वाई के निर्देश दिये गये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व रिकार्ड कीपर नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

अतिरिक्त एजेन्डा

| | | |
|-------------|---------|--|
| क्र० सं० | एजेन्डा | |
|-------------|---------|--|

| | | |
|----|--|---|
| 1. | नगर निगम क्षेत्र में एजेन्सी के माध्यम से घर-घर से कूड़ा उठाने के कार्य की जोन नं0-1, 2 व 3 की तीन माह की अदायागी उपरांत सदन में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। | सर्वसम्मति से सवीकृत किया गया। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 2. | नगर निगम रोहतक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के रख-रखाव के कार्य का टैण्डर सितम्बर 2022 में समाप्त हो गया था। अतः जनहित में उक्त टैण्डर का कार्यकाल नवम्बर माह तक (30.11.2022 तक) बढ़ा दिया गया है (वर्कआर्डर की प्रति संलग्न)। अतः घटनोपरांत सदन में स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है। | सर्वसम्मति से सवीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए जनहित में नया कार्य अलॉट होने तक सफाई कार्य के सभी टैण्डर की अवधि बढ़ाई जाये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 3. | नगर निगम रोहतक क्षेत्र में Regarding grant of time extension for complete Sanitation, Maintenance, Repair, Renovation & Beautification of landscaping work all Park in Zone 1,2 and 3 under M.C Rohtak. उक्त कार्य की अवधि दिनांक 31.12.2022 तक बढ़ाई गई है। अतः घटनोपरांत सदन में स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है। | सर्वसम्मति से सवीकृत किया गया। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 4. | निदेशालय के पत्र क्रमांक XEN&III/DULB/2022/5918 दिनांक 14.10.2022 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पार्कों के रख-रखाव इत्यादि का कार्य गुरुग्राम व पंचकूला की तरह RWAs व NGO के माध्यम से CSR के अंतर्गत करवाया जाये। अतः उपरोक्त पत्र की पालना मे नगर निगम क्षेत्र में स्थित पार्कों व ग्रीन बैल्ट के रख-रखाव हेतू RWAs व NGO को 5 रुपये Sq.Mtr के हिसाब से देने बारे सदन में विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जो पार्क RWAs व NGO के माध्यम से CSR के अंतर्गत लेगी उसके अतिरिक्त शेष पार्कों के रख-रखाव इत्यादि का कार्य वर्तमान की तरह टैण्डर प्रक्रिया द्वारा ही किया जायेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 5. | नगर निगम रोहतक द्वारा जनहित में Complete Sanitation of the area including door to door collection of solid waste, sanitation, sweeping Providing regular road sweeping, Garbage Lifting, Transportation of all kind of garbage ward no. 1 to 22 Rohtak (Zone No. 1,2) कार्य का टैण्डर लगाया गया जो कि दिनांक 17.11.2022 को खोला जाना है। सदन में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। | सर्वसम्मति से सवीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए जनहित में नया कार्य अलॉट होने तक सफाई कार्य के सभी टैण्डर की अवधि बढ़ाई जाये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा |

| | | |
|----|--|--|
| | | की जानी हैं) |
| 6. | श्री विनोद पुत्र श्री रोशन लाल को लावारिस लाशों के दाह संस्कार हेतू पिछला बकाया 72X1000= 72000/- रूपये की अदायगी व भविष्य में 1000/- रूपये प्रति लावारिस लाश के दाह संस्कार की अदायगी हेतू सदन में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। | सर्वसम्मति से स्वीकृति किया गया। इसके अतिरिक्त महापौर महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि नगर निगम द्वारा गैस से संचालित शवगृह मशीन को ठीक करवाया गया था उसको चलाने के लिए किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाये तथा लावारिस लाशों के दाह संस्कार गैस से संचालित शवगृह मशीन में ही करवाया जाये ताकि प्रर्यावरण प्रदूषण भी न हो। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 7. | नगर निगम रोहतक क्षेत्र में स्थान चिह्नित करके पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक Paid पार्किंग बनाने हेतू सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। | सर्वसम्मति से सवीकृत करते हुए पायलट प्रोजैक्ट के तहत सोनीपत रोड, मेडिकल मोड, डी-पार्क व दिल्ली बाईपास पर स्थान चिह्नित करके पेड पार्किंग बनाये जाने बारे निर्णय लिया गया। इसके महापौर महोदय द्वारा बताया गया कि यदि स्कूल की छूट्टी का समय अलग-अलग किया जाये तो शहर में जाम से निजात पाया जा सकता है इसलिए इस संदर्भ जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा जाये। (भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक व जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक। द्वारा कार्रवाई की जानी है।) |
| 8. | प्रायः देखने में आया है कि मुख्य सड़कों पर फड़ी रेहड़ी वाले खड़े रहते हैं जिसके कारण जाम व दुर्घटना इत्यादि की संभावना बनी रहती है। अतः किला रोड से महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय व सोनीपत स्टैन्ड से शीला बाईपास तक नो वेन्डिंग जोन घोषित करने बारे सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। | सर्वसम्मति से सवीकृत करते हुए पायलट प्रोजैक्ट के तहत गोहाना अडडा, सोनीपत रोड, दिल्ली रोड, माता दरवाजा, शास्त्री नगर को नो वेन्डिंग जोन बनाने बारे निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त महापौर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि नो वेन्डिंग जोन घोषित करने से पूर्व वेन्डरों को जगह चिह्नित कर विस्थापित किया जाये। इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि नगर निगम द्वारा केवल लाईसैंस धारकों को ही विस्थापित |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>किया जायेगा।</p> <p>(कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।)</p> |
|--|--|---|

टेबल एजेन्डे

| | | |
|----|---|---|
| 1. | नगर निगम के पास सीवरेज का कार्य भी है तथा सीवरेज सफाई के लिए कोई मशीन उपलब्ध नहीं है। | इस बारे सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीवरेज सफाई के लिए Super Sukker Machine खरीदी जाये। (कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्बवाई की जानी है।) |
| 2. | बैठक में उपस्थित सदस्यों ने याशी कंस्लैटेसी कम्पनी के द्वारा किए गए गलत सर्वे के कारण आमजन को हो रही परेशानी बारे सदन से अनुरोध किया कि नगर निगम रोहतक क्षेत्र में याशी कंस्लैटेसी कम्पनी के द्वारा किए गए गलत सर्वे के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः जब तक नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्तिकर का डाटा कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया जाता तब तक याशी कंस्लैटेसी द्वारा किए गए सर्वे के लिए किए जाने वाले भुगतान व सिक्योरिटी राशि को तुरंत प्रभाव से रोकने व इस संदर्भ में नगर निगम रोहतक से जारी सभी सर्टिफिकेट निरस्त करने बारे निदेशालय को पत्र लिखा जाये। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए जब तक नगर निगम क्षेत्र में सम्पत्तिकर का डाटा कम्पनी द्वारा ठीक नहीं किया जाता तब तक याशी कंस्लैटेसी द्वारा किए गए सर्वे के लिए किए जाने वाले भुगतान व सिक्योरिटी राशि को तुरंत प्रभाव से रोकने व इस संदर्भ में नगर निगम रोहतक से जारी सभी सर्टिफिकेट निरस्त करने बारे निदेशालय को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। (कार्बवाई क्षेत्रीय कराथान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 3. | सभी वार्ड सदस्यों द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सभी सरकारी विभागों से भी सम्पत्तिकर वसूल किया जाये। | इस बारे सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन सरकारी विभागों का सम्पत्तिकर बकाया है जिसको वसूलने के लिए उन्हे नोटिस दिए जाये ताकि नगर |

| | | |
|----|--|--|
| | | <p>निगम की आय में वृद्धि हो सके। (क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p> |
| 4. | नगर निगम के बड़े व मुख्य सामुदायिक केन्द्रों को लीज पर देने वारे। | <p>इस बारे महापौर महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में सामुदायिक केन्द्रों से आमदनी कम हो रही है व उन पर खर्च ज्यादा हो रहा है, इसलिए इनकी देख-रेख की निविदा इस प्रकार की जाये कि इनकी मुरम्मत, सफाई व अन्य सुविधा ठेकेदार स्वयं दे यदि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उस पर जर्माने का भी प्रावधान हो। (भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p> |
| 5. | गांव बोहर के वार्ड सदस्य द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क) द्वारा गांव में सड़क बनाई जा रही है परन्तु नाले बंद पड़े हैं उनकी भी सफाई करवाई जाये। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जहां तक सड़क बनाई जा चुकी है वहां के नालों की तुरंत प्रभाव से सफाई करवाई जाये ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। (कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क), रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p> |
| 6. | गांव खेड़ी साध के नालों की सफाई करवाई जाये, नाले भरे हुए हैं जिससे बीमारियों फैलने का खतरा बना रहता है। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि नालों की तुरंत प्रभाव से सफाई करवाई जाये ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। (कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क), रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)</p> |
| 7. | शीतला माता तालाब से कब्जा हटवाया जाये। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सभी वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण की गई जगह को चिन्हित कर वहां से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं।)</p> |
| 8. | करोथा कांड में शास्त्री श्री उदयवीर सिंह की मृत्यु होने उपरांत परिवारजनों द्वारा इस शर्त पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था कि श्री उदयवीर शास्त्री की प्रतिमा हेतु 50 गज जमीन गांव बलियाणा में दी जायेगी। जिस पर तत्कालीन उपायुक्त महोदय | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित वार्ड सदस्य व परिवारजनों की सहमति से जगह चिन्हित करके</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | द्वारा अपनी सहमति दर्शायी गयी थी। परन्तु अभी तक जमीन न देने के कारण मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा दो बार जुर्माना भी लग चुका है। | श्री उदयवीर शास्त्री की प्रतिमा हेतु 50 गज जमीन गांव बलियाणा में दी जाये। (कार्रवाई नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 9. | वार्ड नं0 14 के सदस्य श्री राधेश्याम ढल जी ने डी०एल०एफ० कालोनी स्थित नेता जी पार्क में बोर्ड लगवाने वारे सदन से अनुरोध किया। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगाने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 10. | वार्ड नं0 01 के सदस्य श्री कृष्ण कुमार सहरायत जी ने सदन से अनुरोध किया कि उनके वार्ड में IDC के साथ लगती शमशान भूमि पर जब भी कोई विकास कार्य बारे कार्रवाई की जाती है तो यह कह कर कार्य रोक दिया जाता है कि उक्त भूमि पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अतः कोर्ट केस बारे सदन को अवगत करवाया जाये। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा सहायक जिला न्यायवादी को कोर्ट उक्त भूमि पर कोर्ट केस बारे पूर्ण ब्योरा सम्बन्धित वार्ड सदस्य को उपलब्ध करवाने वारे निर्देश दिये। (कार्रवाई सहायक जिला न्यायवादी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 11. | सीवरेज पानी के पुनः इस्तेमाल वारे। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि बडे-2 संस्थान जैसे PGIMS, MDU,IIM आदि में चैक करें कि उनमें वर्तमान में STP है या नहीं। अन्यथा इस तरह के संस्थानों को चिह्नित कर District Water Management Plant की सूचि में डाला जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 12. | मनोनीत सदस्य श्री राजेश सैनी ने सदन के अनुरोध किया कि रैनकपुरा में नशे का कारोबार काफी ज्यादा है व खाली जगह पर नशा तस्कर व असामाजिकत्व बैठे रहते हैं। अतः उक्त स्थान पर पुलिस की तैनाती की जाये। | आयुक्त महोदय ने इसे संज्ञान में लेते हुए उक्त स्थान पर पुलिस बल की तैनाती वारे पुलिस विभाग से पत्राचार के निर्देश दिये गये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा |

| | | की जानी हैं) |
|-----|---|---|
| 13. | वार्डों में डिस्पैसरी बनवाने वारे। | आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि भारत सरकार द्वारा विशेष स्कीम के तहत डिस्पैसरी बनाई जाती है। अतः इस बारे सदस्यगण अपने—2 वार्डों में बनाई जाने वाली डिस्पैसरी की सूचि उपलब्ध करवायें ताकि आगामी कार्रवाई हेतु सिविल सर्जन रोहतक को भेजा जा सके। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 14. | वार्ड नं.21 के सदस्य एवं डिस्टी मेयर द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके वार्ड में झज्जर रोड पर लोकनिर्माण विभाग का नाला तोड़ दिया गया था चोतरे भी उखाड़ दिये गये थे। | आयुक्त महोदय ने इसे संज्ञान में लेते हुए कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 15. | वार्ड नं.21 के सदस्य एवं डिस्टी मेयर द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके वार्ड में न्यू विजय नगर की मैन गली में मैन होल का पाईप टूटा हुआ है। कई बार जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी पाईप का टुकड़ा नहीं लगाया गया है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को अविलम्ब उक्त समस्या का समाधान करवाने वारे निर्देश दिये गये (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 16. | बैठक में उपस्थित सभी सदस्यगणों ने सदन में पानी व सीवर की समस्याओं वारे सदन को अवगत करवाया व जल्द से जल्द समाधान करवाने वारे अनुरोध किया। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि अपने विभाग की टीम सभी वार्ड सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वार्डों में सीवर व पानी की समस्यों के निदान बारे निरीक्षण करें। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 17. | वार्ड नं 06 के सदस्य श्री सुरेश किराड द्वारा रामजोड़ी बूस्टर के साथ लगती जमीन पर पार्क व डिस्पैसरी बनाने वारे अनुरोध किया। | आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि भारत सरकार द्वारा विशेष स्कीम के तहत डिस्पैसरी बनाई जाती है। अतः इस बारे सदस्यगण अपने—2 वार्डों में बनाई जाने वाली डिस्पैसरी की सूचि उपलब्ध करवायें ताकि आगामी कार्रवाई हेतु सिविल सर्जन रोहतक को भेजा जा सके। इसके |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>अतिरिक्त पार्क बनाने वारे इस बारें निर्देश दिये गये कि कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 18. | वार्ड नं0 06 के सदस्य श्री सुरेश किराड द्वारा अप्पूधर के साथ बने सार्वजनिक शौचालय की सीवर की पाईप जोकि टूटी हुई है उसे पुनः जोडने वारे अनुरोध किया। | <p>आयुक्त महोदय ने इसे संज्ञान में लेते हुए कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक को मौका निरीक्षण कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई के निर्देश दिये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 19. | वार्ड नं0 06 के सदस्य श्री सुरेश किराड द्वारा जय रेस्टोरेंट के सामने वाली गली न बनवाने वारे अनुरोध किया गया। | सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। |
| 20. | वार्ड नं0 10 के सदस्य श्री राहुल देशवाल जी ने सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड में सीवर लाईन पानी की लाईन को क्रास करती है। जिसके कारण लीकेज होने पर पीने का पानी गंदा आता है। | <p>इस वारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दो दिन के अंदर-अंदर उक्त स्थल का मौका निरीक्षण करवाया जाये ताकि वार्ड नं0 10 में पानी की समस्या का समाधान किया जा सके। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 21. | वार्ड नं0 10 के सदस्य श्री राहुल देशवाल जी ने अवगत करवाया कि उनके वार्ड में गांव आते हैं जहां STP नहीं है। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी गांव हैं वहां Micro STP बनाये जायें। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत बलियाणा व सुनारियां में बनाये जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 22. | वार्ड नं0 10 के सदस्य श्री राहुल देशवाल जी ने गांव की फिरनियों से कब्जे हटवाने वारे सदन से अनुरोध किया। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा भू-अधिकारी को निर्देश दिये गये कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी गांव की फिरनीयों पर कब्जे हैं उन्हे कब्जा मुक्त करवाया जाय (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| 23. | बैठक में सदन को अवगत करवाया गया कि माजरा गांव में पंचायत घर तोड़ दिया गया था वो वैसे ही पड़ा है वहाँ सामूदायिक केन्द्र बनवाया जाये। | आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि माजरा गांव में पंचायत घर की जमीन पर सामूदायिक केन्द्र बनाने के लिए डी-प्लान के तहत कार्यों की सूचि में शामिल करके कार्य करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 24. | श्री गुलशन कुमार ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-15 ने सदन को अवगत करवाया कि सभी सदस्यों के वार्ड में उनके 2-2 बोर्ड लगे हैं। परन्तु उनका केवल एक ही बोर्ड लगाया गया है। अतः उनके वार्ड में एक और बोर्ड लगवाया जाये। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्डों में लगाने वाले बोर्डों का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 25. | शिव कालोनी में गलियों में सीवर लाईन भरी हुई है अतः सफाई करवाई जाये। | जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 26. | वार्ड नं0 08 के सदस्य श्री सुनील कुमार जी ने सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड उत्तम विहार में सीवर की लाईन की समस्या काफी समय से है बार-2 जनस्वास्थ्य विभाग से अनुरोध करने पर उसका समाधान नहीं हो रहा है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि प्राथमिकता के आधार पर उत्तम विहार में टीम के साथ सम्बन्धि वार्ड सदस्य को साथ लेकर मौका निरीक्षण करके लाइन ठीक करवायें। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 27. | बैठक में सदन को अवगत करवाया गया कि डेयरी संचालकों द्वारा गोबर इत्यादि सीवर में बहा दिया जाता है जिसके कारण सीवर लाईन ब्लाक रहती है। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि नगर निगम क्षेत्र. में ऐसे डेयरी संचालक जो सीवरों में गोबर इत्यादि बहाते हैं उन्हें चिन्हित करके उनकी सूचि नगर निगम रोहतक कार्यालय में |

| | | |
|-----|---|---|
| | | भिजवायें ताकि माननीय NGT की पालना में उनका चालान काटे जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 28. | बैठक में सदन के अवगत करवाया गया कि नगर निगम क्षेत्र में काफी प्लाट खाली है जिनमें गंदगी भरी हुई है व सफाई न होने के कारण विमारियां फैलने का डर भी बना रहता है। | आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इस प्रकार के प्लाटों में नगर निगम सफाई करवाकर One Time का खर्च उनके सम्पत्तिकर बिल में जोड़ा जाये। (कार्रवाई क्षेत्रीय कराधान अधिकारी नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 29. | वार्ड नं0 18 की सदस्य श्रीमती मुक्ता नागपाल ने सदन को अवगत करवाया कि शिवाजी कालोनी डिस्पैसरी काफी जर्जर अवस्था में है कभी भी हादसा हो सकता है। अतः उसकी मुरम्मत करवाई जाये। | आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि भारत सरकार द्वारा विशेष स्कीम के तहत डिस्पैसरी बनाई जाती है। अतः इस बारे सदस्यगण अपने-2 वार्डों में बनाई जाने वाली डिस्पैसरी की सूचि उपलब्ध करवायें ताकि आगामी कार्रवाई हेतू सिविल सर्जन रोहतक को भेजा जा सके। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 30. | वार्ड नं0 18 की सदस्य श्रीमती मुक्ता नागपाल ने पटेल नगर बूस्टर का कार्य करवाने वारे सदन से अनुरोध किया। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जल्द से जल्द पटेल नगर स्थित बूस्टर का कार्य करवाने वारे निर्देश दिये गये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 31. | वार्ड नं0 18 की सदस्य श्रीमती मुक्ता नागपाल ने डबल फाटक अन्डर पास में लाईट लगवाने वारे सदन से अनुरोध किया। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतू सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 32. | वार्ड नं0 9 के सदस्य श्री जयभगवान जी ने सदन से अनुरोध किया कि सैक्टरो में Storm water व Sewer line का एक ही | इस बारे आयुक्त महोदय ने एन0जी0टी0 के नियमों |

| | | |
|-----|--|---|
| | कैनैक्शन है। अतः उसे अलग करवाया जाये। | का हवाला देकर हरियाणा शहरी विकास प्रधिकरण से पत्राचार करने बारे निर्देश दियें। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 33. | बैठक मे सदन को अवगत करवाया गया कि बजरंग भवन फाटक से रेलवे लाईन की तरफ काफी गंदगी है वहां कबाडियों ने काफी कबाड भी फैलाया हुआ है। | इस बारे आयुक्त महोदय ने वहां गंदगी करने वालों के चालान करने व वहां सफाई करवाने बारे निर्देश दियें। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 34. | शिव नगर भिवानी चुंगी की सीवर लाईन का समाधान किया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड के पानी के कार्य व 10 करोड के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 35. | वार्ड न01 जितनी भी स्ट्रीट लाईट उतारी गई है। उनकी लिस्ट दी जाए व उन्हे तुरन्त प्रभाव से लगाया जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम, रोहतक द्वारा ठीक करने हेतु उतारी गई स्ट्रीट लाईटों का रिकार्ड बनाया हुआ है तथा उतारी गई स्ट्रीट लाईटों को जल्द ही रिपेयरिंग उपरांत लगवा दिया जायेगा। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 36. | वार्ड के लिए नई 600 लाईट लगवाई जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 37. | वार्ड न0 1 में हर कालोनी में सीवर की सफाई की जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 38. | अमृत योजना में जो सीवर लाईन डाली गई है। उसकी सफाई व सीवर चालू किए जाए व तोड़ी गई रोड़ को नया बनाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दो दिन के अंदर-अंदर सभी वार्डों का निरीक्षण कर सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मिलकर अमृत योजना के कार्य के लिए तोड़ी गई गलियो/सड़कों की सूचि तैयार की जाये व सम्बन्धित एजेन्सी से गलियो/सड़कों को रिपेयर करवाया जाये।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 39. | वार्ड न0 1 में पार्क नहीं है। सरकार द्वारा पार्क की व्यवस्था की जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 40. | हिसार रोड़ की सफाई नहीं होती, रोजाना सफाई की व्यवस्था करवाई जाए। | <p>इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।</p> <p>(कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 41. | वार्ड न0 1 के स्वर्गीय पूर्व डिप्टी मेयर अशोक भाटी के नाम से चौक बनाया जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड सदस्य द्वारा चिन्हित किए गए चौक का नाम अशोक भाटी के रखने</p> |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | | <p>के बारे सब कमेटी में भेजा जाये। (कार्रवाई भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 42. | वार्ड न0 1 में सीवर लाईन को मशीन द्वारा साफ करवाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| वार्ड न. 05 | | |
| 43. | जींद रोड से जो नाला जाता है उसको मेन सीवर से जोड़ा जाए व जाली लगवाई जाए। | <p>इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि माननीय NGT के दिशा-निर्देशोनुसार नाले को सीवर से नहीं जोड़ा जा सकता। जाली लगाने वारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि नगर निगम क्षेत्र में लगने वाले जी.टी. एवं जाल के लिए प्रांकलन तैयार कर निविदा की जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 44. | बतक नाथ डेरे के सामने पुलिया व विश्वास की लेन तक गली की रिपेयरिंग की जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 45. | पीर वाली गली के बाहर मेन जींद रोड पर गप्पु मल स्टेडियम के बाहर रोड व नाले की रिपेयरिंग करवाई जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 46. | कबीर कॉलोनी जोहड़ के पास पुलियां बनवाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 47. | डॉ सतीश से शक्ति स्थल मंदिर तक गली की रिपेयरिंग व जय भगवान लड़वाल वाली गली रिपेयरिंग करवाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 48. | आनंद झाईवर मनीष ग्रोवर मंत्री के झाईवर की गली रिपेयरिंग करवाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 49. | बालक नाथ कॉलोनी जगवन्ती पत्नी श्री सुनील की एक पुलिया बनाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 50. | बालक नाथ कॉलोनी की मेन गली की रिपेयरिंग व बालक नाथ कॉलोनी गली न0 1,2 व 3 में नालियों की रिपेयरिंग करवाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 51. | दलबीर पटवारी वाली गली बालक नाथ कॉलोनी में नाली की रिपेयरिंग करवाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 52. | बाबा खेड़े वाले पीर के मेन गली न0 4 में पुलिया व गली बनवाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 53. | डेरी महोल्ला से कच्चे चमारियां मेन रोड की तरफ जाने वाले रास्ते की रिपेयरिंग करवाई जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 54. | रेनकपुरा कुए वाली गली की पुलिया व स्कूल के सामने वाली गली की पुलिया का निर्माण करवाया जाए। | <p>इस बारें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 55. | रेनकपुरा गली न0 1 व 2 रिपेयर करवाई जाए। | <p>सर्वसम्मति से सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रुपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रुपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 56. | सलारा मोहल्ला लोकी राम गली की पुलियां व गली रिपेयर करवाई जाए। | <p>सर्वसम्मति से सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रुपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>कि 25 लाख रूपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 57. | सलारा मोहल्ला प्रदीप पूर्व एम०सी० वाली गली रिपेयर करवाई जाए। | <p>सर्वसम्मति से सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रूपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रूपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 58. | कच्चा चमारियां रोड पर नाले के ऊपर गली के सामने पुलिया बनवाई जाए। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रूपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रूपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे।</p> <p>(कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 59. | अमृत योजना के तहत पानी की लाईन डालने के बाद इंटर लोक सड़क व गलियों का निर्माण करवाया जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दो दिन के अंदर-अंदर सभी वार्डों का निरीक्षण कर सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मिलकर अमृत योजना के कार्य के लिए तोड़ी गई गलियों/सड़कों की सूचि तैयार की जाये व सम्बन्धित एजेन्सी से गलियों/सड़कों को रिपेयर करवाया जाये।</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | | (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 60. | वार्ड में अमृत योजना के तहत पानी की लाईन कितनी डाली गई, उसका मैप उपलब्ध करवाया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वार्ड सदस्यों अमृत योजना के तहत डाली गई पानी की लाईन की जानकारी उपलब्ध करवाई जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 61. | रेनकपुरा में जयदेव दूध की डेरी है। जिसके द्वारा गोबर सीवर में डाला जाता है। सीवर जाम हो जाने के कारण गली में सीवर का पानी भरा रहता है और लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कत होती है। डेरी के गोबर को उठवाने का उचित इंतजाम किया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि सीवर में गोबर बहाने वालों की सूचि उपलब्ध करवाई जाये ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 62. | वार्ड में जैन साधुओं व साधियों की समाधिस्थल का साईन बोर्ड लगवाए जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्ड में लगने वाले बोर्ड का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 63. | मेन रोड से अनिल के मकान से होती हुई अंगूरी के मकान से बाबा खेड़े वाला पीर से बालक नाथ कॉलोनी तक व अंगूरी के मकान से नरेश खत्री के मकान से वजीर के मकान तक गलियों को पक्का करवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 64. | सारे वार्ड में सीवर की मेनवल व बाल्टी मशीन द्वारा सफाई करवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई |

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 65. | बालकनाथ कालोनी, कबीर कॉलोनी व वार्ड 5 एम०सी० ऑफिस के पास तीन मेन हाल बनवाए जाए। | <p>मेन हॉल के ढक्कन ऊपर उठवाने के लिए अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर कार्य करवाये।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक व कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 66. | कबीर कॉलोनी व पाड़ा मोहल्ला की चार गलियों में सीवर लाईन डलवाई जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| | वार्ड न. 07 | |
| 67. | उत्तम विहार में सीवर लाईन पूरी तरह से डैमेज है। नई लाईन लगवाई जाए व तब तक नई लाईन नहीं लगती तब तक सफाई करवाई जाए व पक्की गलियां बनाई जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। इस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी।</p> <p>(कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी</p> |

| | | विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
|-----|---|--|
| 68. | कृपाल नगर की गलियां सबसे पुरानी हैं इनका नवनिर्माण करवाया जाए व मेन हॉल के ढक्कन ऊपर उठवाए जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। मेन हॉल के ढक्कन ऊपर उठवाने के लिए अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक को निर्देश दिए गए कि तुरंत मौका निरीक्षण करवाकर समस्या का निदान करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक व कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 69. | चमनपुरा, चुन्नीपुरा, सैनीपुरा में नई गलियां, पानी की लाईन व सीवर लाईन डलवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्रवाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 70. | पूरे वार्ड में 3500 स्ट्रीट लाईट व बैटने के लिए बैंचों की व्यवस्था की जाए। | इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक स्ट्रीट लाईट खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः सदन द्वारा इस बारे निर्णय लिया गया कि नई लाईटे खरीदने की स्वीकृति हेतु सरकार को अनुरोध पत्र लिखा जाये। इसके अतिरिक्त वार्ड में आवश्यकतानुसार बैंच रखवाने बारे निर्देश दिये गये। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 71. | वार्ड में डिस्पैसंरी बनाई जाए। | आयुक्त महोदय द्वारा सदन को अवगत करवाया |

| | | |
|--------------------|--|---|
| | | <p>गया कि भारत सरकार द्वारा विशेष स्कीम के तहत डिस्पैसरी बनाई जाती है। अतः इस बारे सदस्यगण अपने—2 वार्डों में बनाई जाने वाली डिस्पैसरी की सूचि उपलब्ध करवायें ताकि आगामी कार्रवाई हेतु सिविल सर्जन रोहतक को भेजा जा सके। (कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 72. | सुखपुरा, माता वाली गली को ऊपर उठाकर बनवाई जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 73. | वार्ड में सी०सी० की गलियां बनवाई जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| वार्ड न. 10 | | |
| 74. | बलियाणा गांव में पार्क बनवाया जाए। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 75. | बलियाणा गांव में अधूरा पड़े नाले का कार्य पूरा करवाया जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि लंबित कार्यों की सूचि तैयार की जाये जिन कार्यों के पूर्ण होने में खर्च कम होना हो, उन्हे डी-प्लान के कार्यों में शामिल कर करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 76. | खेड़ी साध, कन्हेली, पहरावर व गढ़ी इन सभी गांवों में अमृत योजना के तहत पाईपलाईन व सीवर डालते समय तोड़ी गई गलियां बनवाई जाएं। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि दो दिन के अंदर-अंदर सभी वार्डों का निरीक्षण कर सम्बन्धित वार्ड सदस्य के साथ मिलकर अमृत योजना के कार्य के लिए तोड़ी गई गलियों/सड़कों की सूचि तैयार की जाये व सम्बन्धित एजन्सी से गलियों/सड़कों को रिपेयर करवाया जाये। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 77. | माजरा गांव में तोड़ा गया कम्यूनिटी सेंटर बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतू भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 78. | गढ़ी गांव में धानकों वाली चौपाल रद्द हो चुकी है। उसे दोबारा बनवाया जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतू भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 79. | वार्ड न0 10 में अतिक्रमण हटाया जाए। | आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी अभियंता व |

| | | |
|--------------------|--|--|
| | | <p>भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सभी वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर अतिक्रमण की गई जगह को चिह्नित कर वहां से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता व भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 80. | वार्ड में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाए जाए। | <p>इस बारे मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि सफाई कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करवाया जाये तथा वार्ड में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। (कार्रवाई मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 81. | पहरावर गांव के शमशान घाट का विवाद सुलझाया जाए व शमशान घाट के लिए जमीन उपलब्ध करवाई जाए। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा नायब तहसीलदार नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये कि उक्त शमशान घाट के स्थान पर पार्क विकसित किया जाये व शमशानघाट के लिए संबंधित सदस्य से समन्वय स्थापित कर जगह चिह्नित की जाये। (कार्रवाई नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| वार्ड न. 11 | | |
| 82. | वर्षा ऋतु के दौरान सड़कों के बीचों-बीच काफी चौड़े गढ़े हो गए हैं। जिस कारण यहां से गुजरने वाली पाईप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़कों पर बने गढ़ों को तत्काल ठीक करवाया जाए। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रुपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रुपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 83. | सैक्टर 1 की एंट्री न0 2 की तरफ चौ0 देवीलाल पार्क की Entrance के पास सड़क पर 6X6 फुट का गहरा गढ़ा हो गया है। इसे | <p>आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में</p> |

| | | |
|---------------------|--|--|
| | ठीक करवाया जाए। | रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रूपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रूपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 84. | सैक्टर 1 की एंट्री न0 3 जाट भवन की तरफ से सैक्टर 1 व हाऊसिंग बोर्ड की Entry के नजदीक ईश्वर प्रोपट्री डीलर के मकान के पास बना गढ़डे को ठीक करवाया जाए। | आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रूपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रूपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 85. | सैक्टर 1 के जाट भवन के सामने से Green belt में काफी जगह से strom water pipeline क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त पाईप को ठीक करवाया जाए। | इस बारे कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि मौका निरीक्षण कर नियमानुसार पाईप लाइन को ठीक करवाना सुनिश्चित करे। (कार्रवाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड नं. 15 | | |
| 86. | वार्ड न0 15 में लगभग 15-16 कालोनियों हैं। जिनमें सीवरों की सफाई न होने के कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृप्या शीघ्र से शीघ्र मेरे वार्ड में सीवरों की सफाई करवाई जाए। | इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि मौका निरीक्षण करवाकर सीवरों की सफाई करवाई जाये। जिस बारे अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवर सफाई |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>कार्य की निविदा कर सीवरों की सफाई करवा दी जायेगी। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 87. | डी0एल0एफ0 कालोनी में देवराज सोनी वाली गली में सीवर की लाईन दोबारा से नई डाली जाए क्योंकि पुरानी सीवरेज लाईन बहुत छोटी है जो कि अक्सर बंद रहती हैं। | <p>इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये कि इस कार्य को चैक करें कि यह माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार की घोषणा (10 करोड़ के पानी के कार्य व 10 करोड़ के सीवर के कार्य) में है या नहीं यदि घोषणा में नहीं है तो इसे अमृत 2.0 में लेकर इस कार्य को करवाया जाये। (कार्वाई अधीक्षण अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 88. | समस्त वार्ड में सड़कों की मरम्मत हेतु कम से कम 20 लाख रुपये का एस्टीमेट बनवाया जाना वार्ड की प्राथमिकता है। | <p>आयुक्त महोदय द्वारा प्रत्येक वार्ड सदस्य के क्षेत्र में रिपेयर के कार्यों हेतु 25–25 लाख रुपये के कार्यों को करवाने के लिए कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिए गए कि वे वार्ड सदस्यों से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 25 लाख रुपये का कार्य छह माह के लिए होगा व इसमें केवल रिपेयर के कार्य ही किये जायेंगे। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं)</p> |
| 89. | समस्त वार्ड में फोगिंग करवाने की व्यवस्था की जाए। | <p>इस बारे सिविल सर्जन कार्यालय से अधिकारियों द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि स्वास्थ्य विभाग की निति अनुसार केवल डेंगू व मलेरिया के केस पाए जाने पर उनके आस-पास के 50 घरों के क्षेत्र में ही फौगिंग करवाई जा सकती है क्योंकि फौगिंग की अधिकता आमजन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।</p> |
| 90. | सड़क के नवनिर्माण हेतु राशि आवंटित करने की कृपा करें। | <p>इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की</p> |

| | | |
|--------------|--|--|
| | | आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 91. | श्री सनातन धर्म हरि मन्दिर समिति जगदीश कालोनी के दोनो गली व सड़क के मोड़ पर बोर्ड लगवाया जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्ड में लगने वाले बोर्ड का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| 92. | वार्ड में गली व सड़के बनवाई जाए। | इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित वार्ड के कार्यकारी अभियंता, नगर अभियंता व कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम, रोहतक मौका निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकता तथा feasibility चैक करने उपरांत कार्य का प्रांकलन तैयार करके केस सरकार को फण्ड उपलब्धता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगा। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |
| वार्ड नं. 17 | | |
| 93. | सेवा भारती महावीर कालोनी, गोहाना रोड़ रोहतक द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सैन्टर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र के लिए साइन बोर्ड लगवाया जाए। | सर्वसम्मति से स्वीकृत करते हुए सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि वार्ड में लगने वाले बोर्ड का कार्य कोटेशन के आधार पर किया जाये ताकि बोर्ड लगाने में खर्च कम आये। (कार्वाई संबंधित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जानी हैं) |

बैठक के अंत में महापौर महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे जनप्रतिनिधियों को सम्मान देवें व उन द्वारा क्वाये गये कार्यों को प्राथमिकता देवें। तदोपरांत अध्यक्ष महादेव द्वारा बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

महापौर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2022/ ८५०५ - ०८

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. डा० अरविंद शर्मा, माननीय सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा, माननीय विधानसभा सदस्य, गढ़ी सौपला किलोई।
3. श्रीमति शकुन्तला खट्क, माननीय विधानसभा सदस्य, कलानौर।
4. श्री भारत भूषण बत्तरा, माननीय विधानसभा सदस्य, रोहतक।

दिनांक १५/१२/२०२२


महापौर,
नगर निगम, रोहतक।

दिनांक १५/१२/२०२२

क्रमांक MCR/Mayor/2022/ ८५०९ - १०

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को स्वीकृति हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।


महापौर,
नगर निगम, रोहतक।
दिनांक १५/१२/२०२२

क्रमांक MCR/Mayor/2022/ ८५१/-२३

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियानिकी विभाग रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण (भवन एवं मार्ग) विभाग रोहतक।
7. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, रोहतक।
8. अधीक्षक अभियंता, सिचाई विभाग, रोहतक।
9. सिविल सर्जन, रोहतक।
10. सयुक्त निदेशक, IDC, Rohtak.
11. सभी वार्डों के सदस्यगण, नगर निगम, रोहतक।
12. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
13. निजी सहायक आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।


महापौर,
नगर निगम, रोहतक।